रजिस्ट्री सं. डी (डी एन.)-72

REGISTERED No. D. (D N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 118] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 16, 1984/चैत्र 27, 1906

No. 118] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 16, 1984/CHAITRA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम और पुर्नवास मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 1984

सा०का०नि० 286(अ)—मजदूरी संदाय (खान) नियम 1956 का जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है, और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, करते हुए बनाना चाहती है उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2 ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से, प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगा।

प्रारूप नियम

मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम 1983

1 इन नियमों का नाम मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम 1983 है।

2 मजदूरी संदाय (खान) नियम 1956 के नियम 2 में (क) खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(ख) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है,

(ख) खण्ड (छ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(छ)" कुटुम्ब से अभिप्रेत है—

(1) पुरुष नियोजित व्यक्ति के मामले में, उसकी पत्नी, उसकी संतानें चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्रों की विधवाएं और संतानें ;

(2) स्त्री नियोजित व्यक्ति के मामले में उसका पति, उसकी संतानें चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्रों की विधवाएं और संतानें।"

नियम 2क के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"2ख नाम निर्देशन (1) वह नियोजित व्यक्ति जो मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम 1983 के प्रारम्भ की तारीख को नियोजन में है साधारणतया ऐसी तारीख से साठ दिन के भीतर और वह नियोजित व्यक्ति जो उक्त नियम के प्रारम्भ की तरीख के पश्चात नियोजित किया जाता है, साधारणतया ऐसे नियोजन के दिन से तीस

दिन के भीतर किसी व्यक्ति का नाम निर्देशन करके उसे वे सभी रकमें प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा जो ऐसे नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप में देय हैं, किन्तु जो संदाय किए जाने से पूर्व नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण या उसका पता ठिकाना न होने के कारण उसे नहीं दी सकी थीं या नहीं दी जा सकी हैं। नियोजित व्यक्ति प्ररूप ख में नाम निर्देशन करके उसकी दो प्रतियां नियोजक पर, या तो व्यक्ति गत रूप में तामिल करके और उसकी प्राप्ति की उचित रसीद प्राप्त करके या फिर रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज कर उसकी तामील नियोजक पर करेगा :

परन्तु नियोजक, प्ररूप ख में नाम निर्देशन विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात भी स्वीकार कर लेगा यदि उसके साथ विलम्ब के उचित आधार प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार स्वीकृत कोई भी नाम-निर्देशन मूलतया इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात फाइल किया गया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप ख में नाम निर्देशन की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर नियोजक, नियोजित व्यक्ति की, नाम निर्देशन प्ररूप में यथा उल्लिखित सेवा विशिष्टियां खास के अभिलेखों के प्रति निर्देश से सत्यापित कराएगा और प्ररूप ख में नाम निर्देशन पत्र की दूसरी प्रति जिसे नियोजक ने या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी ने सम्यकतः अनुप्रमाणित किया हो, नियोजित व्यक्ति को उससे उसकी प्राप्ति की रसीद लेकर, वापस कर देगा । यह वापसी इस बात की प्रतीक होगी कि नियोजक ने नाम निर्देशन अभिलिखित कर लिया है और नामनिर्देशन की अन्य प्रति नियम 2 ग के उपनियम (1) में विहित रीति में अभिलिखित और फाइल की जाएगी।

(3) यदि नामनिर्देशन करते समय नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब है तो नाम निर्देशन उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति के ही पक्ष में किया जाएगा । यदि कोई नाम निर्देशन ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है जो नियोजित व्यक्ति के कुटुम्ब का व्यक्ति नहीं है तो वह शून्य होगा ।

(4 यदि नाम निर्देशन करते समय नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है किन्तु यदि बाद में नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब बन जाता है तो ऐसा नामनिर्देशन तुरन्त शून्य हुआ समझा जाएगा और नियोजित व्यक्ति, कुटुम्ब बनने से तीस दिन के भीतर, उपनियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट रीति में नियोजक को प्ररूप ग में दो प्रतियों में एक नया नाम निर्देशन प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात उपनियम (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो नामनिर्देशन उपनियम (1) के अधीन किया गया हो।

(5) यदि नाम निर्देशिती की मृत्यु नियोजित व्यक्ति के पूर्व हो जाती है तो नाम निर्देशिती का हित नियोजित व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जाएगा और नियोजित व्यक्ति, नाम निर्देशिती की मृत्यु के दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर, इसमें आगे उपबंधित रीति में, नया नामनिर्देशन करेगा ।

(6) नाम निर्देशन में उपान्तरण की सूचना जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी हैं जिनमें नामनिर्देशिती की मृत्यु नियोजित व्यक्ति से पहले हो जाती है, सूचना नियोजक को प्ररूप घ में दो प्रतियों में उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में दी जाएगी और तत्पश्चात उपनियम (2) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो नाम-निर्देशन उपनियम (1) के अधीन किया गया हो।

(7) नियोजित व्यक्ति किसी अप्राप्तवय व्यक्ति को नाम निर्देशित नहीं करेगा ।

(8) नाम निर्देशन नए नाम निर्देशन या नामनिर्देशन में उपान्तरण की सूचना पर नियोजित व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा और यदि वह हस्ताक्षर नहीं है तो वह उस पर अंगूठे का निशान लगाएगा। ऐसे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दो साक्षियों की उपस्थिति में लाएगा जाएगा जो, यथास्थिति नामनिर्देशन नए निर्देशन या नामनिर्देशन में उपान्तरण की सूचना में इस भाव की एक घोषणा पर भी हस्ताक्षर करेंगे।

(9) नाम निर्देशन, नए नामनिर्देशन या नामनिर्देशन में उपांतरण की सूचना उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वे नियोजक को प्राप्त होते हैं।

2ग. नाम निर्देशन–रजिस्टर(1) नियोजक नामनिर्देशन रजिस्टर में, यथास्थिति, नाम निर्देशन, नए नाम निर्देशन और नामनिर्देशन में उपान्तरण की सूचनाएं अभिलिखित और फाइल करेगा। नियोजक इस रजिस्टर को प्ररूप छ में क्रमानुक्रम से रखेगा।

(2) नियोजक नाम निर्देशन रजिस्टर अद्यतन रूप से रखेगा और स्थायी रूप से उसे कार्यस्थल पर रखेगा या यदि वह ऐसे रजिस्टर को कार्यस्थल पर रखने में कोई असुविधा महसूस करता है तो वह ऐसा रजिस्टर ऐसे किसी उपयुक्त स्थान पर रखेगा जिसे प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) इस निमित्त अनुमोदित करे।

4. उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियम (1) में प्रत्येक रजिस्टर" शब्दों के पूर्व "नाम निर्देशन रजिस्टर से भिन्न" शब्द जोड़ दिए जाएंगे।

5. विद्यमान नियम 9 को उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और निम्नलिखित उपनियम, नियम 9 के उपनियम (2) के रूप में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(2) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ऐसा विहित प्राधिकारी होगा जिसके पास, अधिनियम की धारा 25 क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निक्षिप्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम निक्षिप्त की जाएगी और वह इस प्रकार निक्षिप्त रकमों को नियम 19ख में विहित रीति में बरतेगा।

6. नियम 19 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जायेंगे अर्थात :—

"19क असंवितरित मजदूरी की रकम का निक्षेप—

(1) यदि किसी मास में नियोजित व्यक्ति मजदूरी के रूप में देय सभी रकमें इस कारण असंवितरित रह जाती है कि या तो नियोजित व्यक्ति ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया है या ऐसी रकमें देय हो जाने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात तक नियोजित व्यक्ति के नाम निर्देशिती को किसी कारणवश संदत्त नहीं की जा सकी हैं तो नियोजक ऐसी सभी रकमें, उक्त एक वर्ष की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात से पन्द्रह दिन के अवसान से पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पास निक्षिप्त कर देगा ।

(2) नियोजक उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकमें मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के पक्ष में भारत में किसी अनुसूचित बैंक से प्राप्त मांग देय ड्राफ्ट द्वारा निक्षिप्त करेगा और ऐसा मांगदेय ड्राफ्ट मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को, प्ररूप 6क में सुसंगत ब्यौरों के साथ, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और उसके साथ ही उसकी एक प्रति संबंधित प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भी भेजेगा ।

19ख. रकमों को बरतने की रीति :

(1) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नियम 19क के अधीन निक्षिप्त रकमों का उपयोग ऐसे उपायों के संबंध में उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए करेगा जो उसकी राय में खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक या समीचीन है और विशिष्टतः

उनका उपयोग खानों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए निम्नलिखित कार्यों पर करेगा, अर्थात :—

(i) शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

(ii) आमोद-प्रमोद से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार;

(iii) परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की व्यवस्था और सुधार ।

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अशक्त और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था और सुधार ;

(v) परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ।

(2) किसी खान के संबंध में नियोजक द्वारा या किसी खान में नियोजित व्यक्तियों के ऐसे व्यवसाय संघ द्वारा जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में उपगत व्यय की संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) स्वविवेकानुसार पूर्णतः या भागतः कर सकता है परन्तु यह तब जब उसका यह समाधान हो जाए कि संबंधित व्यक्ति ने ऐसा व्यय उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी सद्भाविक प्रयोजन के लिए ही वस्तुतः उपगत किया है" ।

7. उक्त नियमों के प्ररूप 5 में,—

(क) मद 3 के खण्ड (क), (ख) और (ग) तथा मद 4 और 5 में प्रयुक्त "1000" अंकों के स्थान पर, "1600" अंक रखे जाएंगे;

(ख) मद 7 के पश्चात, निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"8. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पास निक्षिप्त असंवितरित मजदूरी के मामलो की संख्या और रकम :

1,600 रु० प्रति मास से कम पाने वाले व्यक्ति	
मामलों की संख्या	रकम
(क) वे मामले जिनमे नामनिर्देशन न होने के कारण मजदूरी असंवितरित रह गई हैं।	
(ख) वे मामले जिनमे मजदूरी नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियो) द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियो) को किसी कारणवश संदत्त नहीं की जा सकती है।"	

8. उक्त नियमों के प्ररूप 7 में,

(क) मद 1 में "200" अंकों के स्थान पर, "1600" अंक रखे जाएगें।

(ख) मद 9 की उपमद (2) के खण्ड (क) में "प्रति रुपया नौ पैसे" शब्दों के स्थान पर "उस मजदूरी अवधि के संबंध मे जिनसमे जुर्माना अधिरोपित किया गया है, उसे देय मजदूरी के 9 प्रतिशत" शब्द रखे जाएगें ;

(ग) मद 12 में "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात "या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक जोड़ दिए जाएगें;

(घ) मद 12 के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्.-

"12-क, नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से ऐसी किसी निधि में, जो या तो नियोजक ने या व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ ने, नियोजित व्यक्तियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों, या दोनों के कल्याण के लिए गठित की है और जिसे केन्द्रीय सरकार ने, या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी ने अनुमोदित किया है, उसके अभिदान के संदाय के लिए कटौतियां ऐसे अनुमोदन के बने रहने के दौरान की जा सकती हैं;

(ङ) मद 14 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"14-क. नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा देय फीसों के संदाय के लिए कटौतियां की जा सकती हैं";

(च) मद 15 में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक जोड़ दिए जाएंगें;

(छ) मद 19 के पश्चात निम्नलिखित शब्द और मदें अंतः स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"असंवितरित मजदूरी का संदाय

(9क) (1) यदि मजदूरी के रूप में किसी नियोजित व्यक्ति को देय सभी रकमों का संदाय, ऐसे संदाय से पूर्व नियोजित व्यक्ति की मृत्यु कहो जाने के कारण उसका पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण नही किया जा सका है या नही किया जा सकता है तो ऐसी रकमों का संदाय उस व्यक्ति को कर दिया जाएगा जिसे ऐसे नियोजित व्यक्ति ने इस निमित्त नामनिर्देशित किया है।

(2) यदि मजदूरी इस कारण असंवितरित रह जाती है कि नियोजित व्यक्ति ने कोई नामनिर्देशित नहीं किया है या ऐसी रकमे नियोजित व्यक्ति के नाम निर्देशितों को, ऐसी रकमों के देय होने की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात तक, संदत्त नहीं की जा सकी हैं तो नियोजक ऐसी असंवितरित मजदूरी की सभी रकमें, उक्त एक वर्ष की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात से 15 दिन के अवसान से पूर्व मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के पास निक्षिप्त कर देगा।

निक्षिप्त रकमों को बरतने की रीति

(10क) (1) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अपने पास निक्षिप्त असंवितरित मजदूरी की रकमों का उपयोग ऐसे उपायों के संबंध मे व्यय को पूरा करने के लिए करेगा जो खानों मे नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए किए जाते है और विशिष्टितः उनका उपयोग खानों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए किए गए उपायों, उदाहरणार्थ, नियोजित व्यक्तियों की शिक्षा, आमोद-प्रमोद और परिवहन सुविधाओं परिवार नियोजन और परिवार कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण और अशक्त तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था और सुधार कार्य के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(2) किसी खान के संबंध में नियोजक द्वारा या किसी खान में नियोजित व्यक्तियों के ऐसे व्यवसाय संघ द्वारा जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, इस प्रकार उपगत व्यय की संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) स्वविवेकानुसार पूर्णतः या भागतः कर सकता है।

[सं० एस० 31012/8/82 डब्ल्यू ०सी० (पी० डब्ल्यू०)]

प्ररूप ख

[नियम 2 ख को उपनियम (1) देखिए]

नामनिर्देशिम

सेवा में,

(यहां खान का नाम और पूरे पते के साथ नियोजक का नाम और पता दीजिए)

मैं ....

पूरा नाम

जिसकी विशिष्टियां नीचे विवरण में दी गई हैं, नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नामनिर्देशन, मजदूरी के रूप में मुझे देय सभी रकमें उस दशा में प्राप्त करने के लिए, करता हूं जब ऐसी रकमें उन के संदाय से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने के कारण या मेरा पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण मुझे संदत्त न की जा सकी हो या संदत्त न की जा सकती हों।

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस व्यक्ति का मैंने नामनिर्देशन किया है वह मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 के नियम 2 के खण्ड (छठ) के अर्थ में मेरे कुटुम्ब का सदस्य है।

3 मैं घोषणा करता हूं कि उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (छठ) के अर्थ में मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है और यदि भविष्य में मेरा कोई कुटुम्बई बन जाता है तो उक्त नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा और उस दशा में प्ररूप ग में एक नया नामनिर्देशन करूंगा।

4. (क) मेरे पिता /माता / माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं है।

(ख) मेरे पति के पिता/ माता माता-पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं है।

नामनिर्देशिती

नामनिर्देशिती का नाम और पता	नियोजित व्यक्तियों के नामनिर्देशिती की आयु साथ नामनिर्देशिती की नातेदारी	
1	2	3

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर है
5. उस विभाग / शाखा / अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है:
6. धारित पर तथा टिकट संख्यांक या क्रम संख्यांक, यदि कोई है।
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता:
9. स्थायी पता:

ग्राम———थाना———उपखण्ड———

डाकखाना———जिला———

राज्य———

स्थान———

तारीख नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान

साक्षियों द्वारा घोषणा

नामनिर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए / अंगूठे का निशान लगाया गया।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता:— साक्षियों के हस्ताक्षर

1. 1.
2. 2.

स्थान ———

तारीख———

नियोजक का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामनिर्देशन की विशिष्टियों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें क्रम संख्यांक ——— पर प्ररूप ङ० में नामनिर्देशन रजिस्टर में प्रविलिखित कर दिया गया है।

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान——— पद नाम

तारीख ——— खान का नाम और पता या उसकी रबड़ मुद्रा

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप ख में फाईल किए गए नामनिर्देशन की द्वितीय प्रति, जिसे नियोजक ने सम्यकतः प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की।

स्थान ——— नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख ———

टिप्पणी—जो शब्द या पैरा लागू नहीं होते हैं उन्हें काट दीजिए

प्ररूप ग

[नियम 2 ख का उपनियम (4) देखिए]

नया नामनिर्देशन

सेवा में,

(यहां खान के नाम और पूरे पते सहित नियोजक का नाम और पता दीजिए)

मैं ———जिसकी विशिष्टियां नीचे विवरण (पूरा नाम)]

में दी गई हैं। यह कथन करता हूं कि मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 के नियम 2 के खण्ड (छठ) के अर्थ में नीचे उपदर्शित रीति में ———तारीख से मेरा कुटुम्ब बन गया है। अतः मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम नामनिर्देशन, मजदूरी के रूप में मुझे देय सभी रकमें उस दशा में प्राप्त करने के लिए करता हूं जब ऐसी रकमें उनके संदाय से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने के कारण या मेरा पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण मुझे संदाय न की जा सकी हो या संदत्त न की जा सकती हों।

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस व्यक्ति का मैंने नामनिर्देशन किया है वह उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में मेरे कुटुम्ब का सदस्य है।

3. (क) मेरे पिता / माता / माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं है।

(ख) मेरे पति के पिता / माता / माता-पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं है।

नाम निर्देशिती

नामनिर्देशिती का नाम और पता	नियोजित व्यक्तियों के साथ नामनिर्देशिती की नातेदारी	नाम निर्देशिती की आयु
1	2	3

"कुटुम्ब" बन जाने की रीति

(यहां इस बाबत ब्यौरे दीजिए कि कुटुम्ब किस प्रकार बना है अर्थात्, विवाह द्वारा या माता-पिता के आश्रित हो जाने के कारण या दत्तक ग्रहण जैसी किसी अन्य प्रक्रिया के कारण)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है
5. उस विभाग/शाखा/अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है
6. धारित पद तथा टिकट संख्यांक या क्रम संख्यांक यदि कोई है
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता
9. स्थायी पता :

ग्राम———— थाना————

उप खण्ड———— डाकखाना————

जिला———— राज्य————

स्थान———— नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख अंगूठे का निशान

साक्षियों द्वारा घोषणा

नए नामनिर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए अंगूठे का निशान लगाया गया।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता साक्षियों के हस्ताक्षर

1. 1.
2. 2.

स्थान————

तारीख————

नियोजक का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामनिर्देशन की विशिष्टियों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें क्रम संख्या ————पर प्ररूप ङ० में नामनिर्देशन रजिस्टर में, अभिलिखित कर लिया गया है।

नियोजक / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

स्थान———— खाने का नाम और पता या उसकी रबड़ मुद्रा

तारीख————

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप ग में फाईल किए गए नामनिर्देशन की द्वितीय प्रति, जिसे नियोजक के सम्यकतः प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की।

स्थान————

तारीख————

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

टिप्पण :—जो शब्द या पैरा लागू नहीं होते हैं, उन्हें काट दीजिए।

प्ररूप घ

(नियम 2 ख का उपनियम (6) देखिए)

नामनिर्देशन का उपान्तरण

सेवा में,

(यहां खान का नाम और पूरे पते सहित नियोजक का नाम और पता दीजिए)

मैं, ————जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं,
(पूरा नाम)

सूचना देता हूं कि मैंने जो नामनिर्देशित तारीख ———— को फाईल किया है और जिसे आपके निर्देश सं० ————पर तारीख ————को अभिलिखित किया गया है, उसमें निम्नलिखित रूप से उपान्तरण किए जाएंगे :—

(यहां आशयित उपान्तरणों के ब्यौरे दीजिए)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित / विवाहित / विधवा विधुर है
5. उस विभाग शाखा अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है
6. धारित पद तथा टिकट संख्या या क्रम संख्यक, यदि कोई है
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता :
9. स्थायी पता :

ग्राम————थाना————

उपखण्ड———— डाकखाना————

जिला———— राज्य————

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

स्थान————

तारीख————

साक्षियों द्वारा घोषणा

उपान्तरित नामनिर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए/अंगूठे का निशान लगाया गया।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता साक्षियों के हस्ताक्षर

1. 1.
2. 2.

स्थान————

तारीख————

नियोजक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उपान्तरण अभिलिखित कर लिए गए हैं और उन्हें प्ररूप ङ में नामनिर्देशन रजिस्टर में क्रम संख्यांक —————————पर अभिलिखित और प्रविष्टि कर लिया गया है।

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
खान का नाम और पता या उसकी
रबड़ मुद्रा

स्थान ——————

तारीख ——————

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप घ मे फाईल किए गए नामनिर्देशन का द्वितीय प्रति, जिससे नियोजक ने सम्यकत. प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की।

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान ——————

तारीख——————

टिप्पण :- जो शब्द या पैरा लागू नहीं होते हैं उन्हें काट दीजिए।

प्ररूप ङ

[नियम 2ग का उपनियम (1) देखिए]

नामनिर्देशन रजिस्टर

खान का नाम और पता.................... नियोजक का नाम और पता....................

भाग-1

क्रम सं०	नियोजित व्यक्ति का नाम और पूरा पता	नियोजन की प्रकृति	प्ररूप ख में प्रारम्भ मे नामनिर्देशित किए गए नामनिर्देशिती का नाम और पूरा पता तथा तारीख	प्ररूप ग में नामनिर्देशित किए गए पश्चात्‌वर्ती नामनिर्देशितों का नाम और पूरा पता तथा तारीख	प्ररूप घ मे किए गए नामनिर्देशितों की सूचनाओं में के उपान्तरणों के यदि कोई है, ब्यौरे और तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

भाग-2 विनिर्दिष्ट

इसमें प्ररूप ख में किए गए प्रत्येक नामनिर्देशन की, प्ररूप ग में किए गए प्रत्येक नए नामनिर्देशन तथा प्ररूप घ में नामनिर्देशन में किए गए उपान्तरण की सूचना की एक-एक प्रति भाग 1 में उपवर्णित क्रम के अनुसार होगी।

प्ररूप 6 क

[नियम 19 क का उपनियम (2) देखिए]

प्रेषक : रजिस्ट्रीकृत

(यहां नियोजक का नाम और पूरा पता दीजिए)

सेवा में,

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय),
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली—110001

विषय:—असंवितरित मजदूरी की रकम का निक्षेप

महोदय,

मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 के नियम 19क के उपनियम (2) के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन यथाअपेक्षित रूप में मैं —————————— से आपके पक्ष में अभिप्राप्त

(बैंक का नाम और पता लिखिए)

—————— ——————रु० का क्रास मांगदेय ड्राफ्ट

(अंकों में) (शब्दों में)

सं०——————————तारीख ——————

(सं० का उल्लेख कीजिए) (तारीख का उल्लेख किजिए)

ऊपर उल्लिखित रकमें वे रकमें हैं जो ——————

(खान का नाम और पता लिखिए

में नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी के रूप में देय है तथा जो नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नामनिर्देशन न किए जाने के कारण या किसी अन्य कारणवश; नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) के अपने अपने नामनिर्देशिती (नाम निर्देशितियों) को ऐसी रकम संदत्त न को जा सकने के कारण अवितरित रह गई है। सुसंगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1. सुसंगत मजदूरी अवधि की विशिष्टियां—————— ——————

(मजदूरी अवधि के ब्यौरे दीजिए)

2. ऐसे मामलो की संख्या जिनमें नाम निर्देशन न होने के कारण, नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप में देय सभी रकमें असंवितरित रह गई हैं ——————————

(ऐसे मामलों का संख्या लिखिए)

3. मद 2 में निर्दिष्ट मामलों में असंवितरित मजदूरीयों की कुल रकम ———— ————

(अंकों में) (शब्दों में)

4. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मजदूरी के रूप में किसी नियोजित व्यक्ति को देय सभी रकमें, नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियों) को, संदत्त नहीं की जा सकी हैं। ——————

(ऐसे मामलों की संख्या लिखिए)

5. मद 4 में निर्दिष्ट मामलों में असंवितरित मजदूरी की कुल रकम ———— ————
(अंकों में) (शब्दों में)

6. मद 3 और 5 में निर्दिष्ट असंवितरित मजदूरी की कुल रकम ———— ————
(अंकों में) (शब्दों में)

भवदीय

नियोजक / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ———— पदमान

तारीख ———— खान का नाम और पता या उसकी रबड़ स्टाम्प

एक प्रति जिसके साथ संलग्नक नहीं है, जानकारी के लिए, प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ————को प्रेषित की गई।

(पता)

नियोजक / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम

खान का नाम और पता या उसकी रबड़ मुद्रा

स्थान ————

तारीख————

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1984

G.S.R. 286(E):—The following draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules 1956 hereinafter referred to as the said rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 26 read with section 24 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), is hereby published as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person on the receipt of the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

The Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1983

1. These rules may be called the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1983.

2. In rule 2 of the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956,—

(a) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely :—

"(bb)" Cheif Labour Commissioner (Central) "means an officer appointed as such by the Central Government",

After clause (g), the following clause shall be inserted, namely :—

"(gg) "family" means,—

(i) in case of a male employed person, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and his deceased sons, widows and children;

(ii) in case of a female employed person, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and her deceased sons", widows' and children".

3. After rule 2A, the following rules shall be inserted namely :—

"2B Nominations.—(1) In case an employed person is already in employment on the date of commencement of the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1983 ordinarily within 60 days from such date, and in case an employed person has been employed after the date of commencement of the said rules, ordinarily within 30 days from the day he is employed, shall nominate a person conferring on him the right to receive all amounts payable to him as wages if such amounts could not or cannot be paid on account of his death before the payment or on account of his whereabouts not being known. The nomination shall be in Form B and submitted in duplicate by the employed person by personal service, after taking proper receipt thereof or by sending through registered post with acknowledgement due to the employer.

Provided that nomination in Form B shall be accepted by the employer even after the expiry of the specified period, if filed with reasonable grounds for delay and no nomination so accepted shall be invalid mainly because it was filed after the expiry of the specified period.

(2) Within 30 days of the receipt of the nomination in Form B under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employed person, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to records of the mine and returned to the employed person, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in Form B duly attested either by the employer or an officer authorised in this behalf by him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded and filed in the manner prescribed in sub-rule(1) of rule 2C.

(3) If an employed person has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of a person belonging to his family. Any nomination made by such employed person in favour of a person not belonging to his family, shall be void.

(4) If at the time of making a nomination, the employed person has no family, the nomination may be made in favour of any person but as soon as the employed person subsequantly acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be void and the employer person shall, within 30 days of acquiring a family, submit in the manner as specified in sub-rule (1), submit a fresh nomination in duplicate in Form C to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub rule (1).

(5) If the nominee pre-deceases the employed person, the interest of the nominee shall revert to the employed person who shall, within a period of thirty days from the death of the nominee, make fresh nomination in the manner hereinafter provided for.

(6) A notice of modification of a nomination including cases where a nominee pre-deceases an employed person, shall be submitted in duplicate in Form D to the employer in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).

(7) The employed person shall not nominate a person who is a minor.

(8) A nomination, a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be signed by the employed person or, if illiterate, bear his thumb impression in the presence of two witnesses who shall also sign a declaration to that effect in the nomination, fresh nomination, or a notice of modification of nomination as the case may be.

(9) A nomination, fresh nomination or a notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

2 C. Register of nominations.—(1) The employer shall record and file all nominations, fresh nominations and notices of modification of nominations, as the case may be, in the register of nominations which shall be maintained chronologically by the employer in Form E.

(2) The register of nominations shall be maintained by the employer uptodate and kept permanently at the work spot or where the employer experiences difficulty in keeping them at the work spot, at any other suitable place, as may be approved by the Regional Labour Commissioner (Central) in this behalf".

4. In sub-rule (1) of rule 6 of the said rules, after the words, 'Every register' the words, 'other than the register of nominations, shall be added.

5. The existing rule 9 shall be re-numbered as sub-rule (1) and the following sub-rule shall be inserted as sub-rule (2) of rule 9, namely :—

"(2) The Cheif Labour Commissioner (Central) shall be the prescribed authority with whom amounts required to be deposited under clause (b) of sub-section (1) of section 25A of the Act, shall be deposited and who shall deal with the amounts so deposited in the manner prescribed in rule 19B"

6. After rule 19, the following rules shall be inserted, namely :—

"19A Deposit of amounts of undisbursed wages.—(1) Where all amounts payable as wages to person employed in a mine remains undisbursed because either no nomination had been made by the employed person or for any reasons such amounts could not be paid to the nominee of the employer person until the expiry of one year from the date the same had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Chief Labour Commissioner (Central) before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of one year.

(2) The amounts referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer through crossed demand draft obtained from any Scheduled Bank in India drawn in favour of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, and such demand draft shall be submitted by the employer to the Chief Labour Commissioner (Central) together with relevant details in Form VI-A by registered post simultaneously endorsing its copy to the Regional Labour Commissioner (Central) concerned.

19B Manner of dealing with the amounts.—(1) The amount deposited under rule 19A shall be applied by the Chief Labour Commissioner (Central to meet the expenditure incurred in connection with the measures which, in his opinion are necessary or expedient to promote the welfare of persons employed in mines and in particular to defray the cost of measures for the benefit of persons employed in the mines directed towards,—

(i) the provision and improvement of educational facilities;

(ii) the provision and improvement of recreational facilities;

(iii) the provision and improvement of family welfare including family planning;

(iv) the provision and improvement of vacational training, rehabilitation of disabled and handicapped persons; and

(v) the provision and improvement of transport facilities.

(2) The expenditure incurred in connection with the measures referred to in sub-rule (1) either by an employer in relation to a mine or a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 of persons employed in a mine may be reimbursed to the person concerned by the Cheif Labour Commissioner (Central) either wholly or partly at his discretion, provided he is satisfied that the expenditure has been actually incurred by that person for the bonafide purpose specified in the sub-rule (1)".

7. In Form V of the said rules,—

(a) for the figure "1,000" appearing at items 3(a), (b) and (d) and items 4 and 5, the figures, "1,600" shall be substituted;

(b) after item 7, following item shall be inserted namely :—

"8. No. of cases and amount of undisbursed wages deposited with the Chief Labour Commissioner (Central):

	Persons receiving less than Rs. 1,600 per month	
	No. of cases	Amount
(a) Cases in which wages remained undisbursed for want of nomination.		
(b) Cases in which wages could not be paid to person nominated by employed persons (s) for any reason."		

8. In Form VII of the said rules—

(a) at item 1, for the figures, "200" the figures "1600" shall be substituted :

(b) in clause (a) of sub-item (2) of item 9, for the words, "naye paise in the rupee", the words, "per cent of the wages payable to him in respect of that wage period in which fine is imposed" shall be substituted ;

(c) at item 12, after the words, "Central Government" the words and brackets, "or the Chief Labour Commisioner (Central)" shall be added ;

(d) after item 12, the following item shall be inserted, namely—

"12-A. Deductions can be made with the written authorisation of the employed person for payment of his contribution to any fund constituted by the employer or a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 for the welfare of the employed persons or the members of their families or both, and approved by the Central Government or any officer specified by it in this behalf, during the continuance of such approval".

(e) after item 14, the following item shall be inserted, namely—

"14-A. Deductions can be made with the written authorisation of the employed person for payment of fees payable by him for the membership of any trade union registered under the Trade Unions Act, 1926;"

(f) at item 15, after the words, "approved by the Central Government", the words and the brackets "or the Chief Labour Commisioner (Central)" shall be added before the words, "or to the postal insurance";

(g) after item 19, the following words and items shall be inserted, namely—

PAYMENT OF UNDISBURSED WAGES

19A(1). If all amounts payable to an employed person as wages could not or cannot be paid on account of his death before payment or on account of his whereabouts not being known shall be paid to the person nominated by him in this behalf.

(2) Where wages remains undisbursed because either no nomination had been made by the employed person or for any reasons such amounts could not be paid to the nominee of the employed person until the expiry of one year from the date the same had become payable, all amounts of such undisbursed wages shall be disposited by the employer with the Cheif

Labour Commissioner (Central) New Delhi before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of one year.

Manner of dealing with deposited amounts

19B. (1) The amounts of undisbursed wages deposited with the Chief Labour Commissioner (Central) shall be applied by him to meet the expenditure in connection with the measures to promote the welfare of persons employed in mines particulary to defray the cost of measures for the benefit of persons employed in mines such as the provision and improvement of educational, recreational and transport facilities, family welfares including family planning, vocational training, and rehabilitation of disabled and handicapped persons.

(2) The expenditure so incurred either by an employer in relation to a mine or a trade union or persons employed in a mine, registered under Trade Unions Act, 1926 may be reimbursed to the person concerned by the Chief Labour Commissioner (Central) either wholly or partly at his discretion.

[No. S-32012/8/82-WC(PW)]

Form B

[See sub-rule (1) of rule 2B]

Nomination

To

(Give here name and address of employer together with name and full address of the mine)

I.....
(name in full here)

whose particulars are given in the statement below hereby nominate the person mentioned below to receive all amounts payable to me as wages if such amounts could not or cannot be paid on account of my death before the payment or on account of my whereabouts not being known.

2. I hereby certify that the person nominated by me is a member of my family within the meaning of clause (gg) of rule 2 of the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956.

3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (gg) of rule 2 of the said rules and should I acquire a family hereafter, the above nomination shall be void and in that event I shall make a fresh nomination in Form C.

4. (a) My father/mother/parents is/are not dependent upon me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

Nominee

Name and address of the nominee	Nominees relationship with the employed person	Age of nominee
(1)	(2)	(3)

Statement

1. Name of the employed person in full
2. Sex
3. Religion
4. Whether unmarried/married/widow/widower
5. Department/Branch/Section where employed
6. Post held with ticket number or, serial number if any
7. Date of appointment
8. Present address.
9. Permanent address.

Village..... Thana..... Sub-division....

Post office.....District.....State.....

Place..... Signature/thumb impression of the
Date..... employed person

Declaration by witnesses

Nominaton signed/thumb-impressioned before me.

Name in full and full address of Signature of witnesses;

1. 1.
2. 2.

Place.....

Date.....

Certificate by the employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in the register of nominations in Form E at serial No.....

Signature of the employer/ officer authorised

Place..... Designation

Date..... Name and address of the mine or rubber stamp thereof

Acknowledgement of the employed person

Received the duplicate copy of nomination in Form B filled by me and duly certified by the employer.

Place..... Signature of the employed person

Date.....

Note : Strike out the words and paragraphs not applicable.

FORM C

[See sub-rule (4) of rule 2B]

Fresh nomination

To

(give here name and address of employer together with name and full address of the mine)

I.....
(name in full here)

whose particulars are given in the statement below have acquired a family within the meaning of clause (gg) of rule 2 of the Payment of Wages (Mines) Rules 1956 with effect from..... (date here).....(in the manner indicated below and therefore nominate a fresh the person mentioned below to receive all amounts payable to me as wages if such amounts could not or cannot be paid on account of my death before the payment or on account of my where abouts not being known.

2. I hereby certify that the person nominated by me is a member of my family within the meaning of clause (gg) of rule 2 of the said rules.

3. (a) My father/mother/parents is/are not dependent upon me.

(b) My husbands father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

Nominee

Name and address of the nominee	Nominee's relationship with the employed person	Age of nominee
1	2	3

MANNER OF ACQUIRING A "FAMILY"

(Here give details as to how a family was acquired, whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption).

STATEMENT

1. Name of the employed person in full.
2. Sex.
3. Religion.
4. Whether married/unmarried/widow/widower.
5. Department/Branch/Section where employed.
6. Post held with ticket number or, serial number if any.
7. Date of appointment.
8. Present address.
9. Permanent address.

Village..........Thana..............Sub-division..........
Post office..........District..........State...............

Place .... Signature/thumb impression of
Date .... the employed person

Declaration of witnesses:

Fresh nomination signed/thumb impressioned before me.

Name in full and full address and Signature of witnesses

1. 1.
2. 2.

Place ....
Date..........

Certificate by the employer.

Certified that the particulars of the above nomination been varified and recorded in register of naminotions in Form E at serial No....................

Signature of the employer/ officer authorised

Place..........
Designation
Date..........

Name and address of the mine or rubber stamp thereof

Acknowledgement of the employed person

Received the duplicate copy of the nomination in Form-C filed by me and duly certified by the employer.

Signature of the employed person

Place..........
Date............

Note : Strik out the words and paragraph not applicable.

Form-D

[See sub-rule (6) of rule 2B]

Modification of Nomination.

To

(Give here name and address of employer together name and full address of the mine)

I...................................
(name in full here)

Whose particulars are given below hereby give notice that the nominaion filed by me on...............................
and recorded under your reference no......................
............date..........................No.................
dated........................shall stand modified in the following manner :—

(Here give details of the modifications intended)

Statement

1. Name of the employed person in full.
2. Sex.
3. Religion.
4. Whether unmarried/married/widow/widower.
5. Department/Branch/Section where employed.
6. Post held with ticket number or serial number, if any.
7. Date of appointment.
8. Present address.
9. Permanent address.

Village..........Thana............Sub-division............
Post office.......... District.......... State............

Place............ Signature/thumb impression of
Date............ the employed person.)

Declaradition by witnesses :

Modification of nomination signed/thumb impressioned before me.

Name in full and full address of witnesses Signature of Witnesses

1. 1.
2. 2.

Place............
Date..........

Certificate by the eemployer:

Certified that the above modifications have been recorded and entered into in register of nominations in Form-E at serial No............

Place.......... Signature of the employer\ officer authorised

Date.......... Designation
Name and address of the mine or rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the employed person:

Received the duplicate copy of the notice for modifications in Form-D filed by me on duly certified by the employer.

Signature of the employed person

Place............

Date ....

Note: Strike out the words not applicable.

FORM-E

[See sub-rule (1) of rule 2C]

Register of nominations

Name and address of the mine.................. Name and address of the employer.........................

PART—I

Serial No.	Name and complete address of the employed person	Nature of employment	Name and complete address of the nominee initially nominated in Form B with date	Name and address of the nominee sub-sequently nominated in Form C with date	Details of modifications if any specified in the notice of modification of the nomination given in Form D. with date	Remarks
1	2	3		5	6	7

PART—II

It shall contain one copy each of the nomination in Form B and as the case may be, the fresh nomination in Form C and noti of modification of nomination in Form-D in serial order indicated in Part-I.

FORM VI-A

[See sub-rule (2) of rule 19A]

From REGISTERED

(Give here name and complete address of the employer

To

The Chief Labour Commissioner (Central)
Shram Shakti Bhawan,
Rafi Marg,
New Delhi (Pin. 110001).

Subjects:—Deposit of amount of undisbursed wages.

Sir,

As required under sub-rule (1) read with sub-rule (2) of rule 19A of the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956, I enclose the crossed demand draft bearing No..................... ....Dated......................... ... (mention the number) (Mention the date) for Rs.................(Rupees......................... (mention the amount in figures) (mention the amount in word drawn in your favour obtained from..................... ....(mention the name and the address of the bank ....The above mentioned amounts represent all amounts payable as wages to persons employed in........... .... (mention the name and address of the mine) which remained undisbursed because either no nomination had been made by the employed person(s) or for any persons such amounts could not be paid to the respective nominee(s) of the employed person(s). The relevant details are furnished hereunder.

(1) Particulars of the relevant wage-period ....

(mention the details of the wage period)

(2) No. of cases in which all amounts payable to an employed person as wages, remained undisbursed for want of nominations

....
(mention the number of such cases).

(3) Total amounts of undisbursed wages in cases referred to in item 2	Rs............. (mention the amounts in figures)	(Rupees...... (mention the amounts in words)
(4) No. of cases in which all amounts payable to an employed person as wages, could not be paid to person(s) nominated by employed person(s).	.... (mention the number of such cases)	
(5) Total amounts of undisbursed wages in cases referred to in Item 4	Rs............ (mention the amounts in figures)	Rupees........ (mention the amounts in words)

(6) Total amounts of undisbursed wages referred to in items 3 and 5.	Rs..... (mention the amounts in figures)	(Rupees..... (mention the amounts in words)

Yours faithfully,

Signature of the employer/ officer authorised

Place .....

Designation

Dated.....

Name and address of the mine or rubber stam thereof

Copy without enclosures forwarded for information to the Regional Lab ur Commissioner (Central)..... (mention the address)

Signature of the employer/officer authorised

Pace.....

Designation

Dated.....

Name and address of the mine or rubber stand thereof

अधिसूचना

सा० का० नि० 287(अ) :—मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) नियम, 1968 का, जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है, और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से, प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) संशोधन नियम, 1983

1. इन नियमों का नाम मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) संशोधन नियम, 1983 है ।

2. मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) नियम, 1968 के नियम 2में,—

(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(गग) मुख्यश्रम आयुक्त (केन्द्रीय) से, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(झझ) कुटुम्ब से अभिप्रेत है —

(i) पुरुष नियोजित व्यक्ति के मामले मे उसकी पत्नी, उसकी संतानें, चाहे वे विवाहित है या अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके मृतक पुत्रों की विधवाएं और संतानें;

(ii) स्त्री नियोजित व्यक्ति के मामले में उसका पति, उसकी संतानें, चाहे वे विवाहित हैं याअविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता और, उसके मृतक पुत्रों की विधवाएं और संतानें

3. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अतः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

3क. नामनिर्देशन—(1) यह नियोजित व्यक्ति, जो मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) संशोधन नियम, 1983 के प्रारम्भ की तारीख को नियोजन मे है, साधारणतया ऐसी तारीख से साठ दिन के भीतर और वह नियोजित व्यक्ति जो उक्त नियम के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् नियोजित किया जाता है, साधारणतया ऐसे नियोजन के दिन से तीस दिन के भीतर, किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन करके उसे वे सभी रकमें प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा जो ऐसे नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप में देय है किन्तु जो संदाय किए जाने से पूर्व, नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने का कारण या उसका पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण उसे नहीं दी जा सकी थी या नहीं दी जा सकती है । नियोजित व्यक्ति प्ररूप क में नामनिर्देशन, करके उसकी दो प्रतियां नियोजक पर, या तो व्यक्तिगत रूप मे तामील करके और उसकी प्राप्ति की उचित रसीद प्राप्त करके या उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज कर उसकी तामील करेगा :—

परन्तु नियोजक, प्ररूप क में नामनिर्देशन, ऐसे विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् भी, स्वीकार कर लेगा यदि उसके साथ विलम्ब के उचित आधार प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार स्वीकृत कोई भी नामनिर्देशन मुख्यतया इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् फाइल किया गया है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप ख में नामनिर्देशन पत्र की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर नियोजक, नियोजित व्यक्ति की, नामनिर्देशन प्ररूप मे यथा उल्लिखित सेवा विशिष्टियां, वायु परिवहन सेवा के अभिलेखों के प्रति निर्देश से, सत्यापित करायगा और प्ररूप क में नामनिर्देशन पत्र की दूसरी प्रति, जिसे नियोजक ने या उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी ने सम्यकतः अनुप्रमाणित किया हो, नियोजित व्यक्ति को उससे उसकी प्राप्ति की रसीद लेकर, वापस कर देगा । यह वापसी इस बात की प्रतीक होगी कि नियोजक ने नामनिर्देशन अभिलिखित कर लिया है और नामनिर्देशन की अन्य प्रति नियम 3ख के उप नियम (1) मे विहित रीति में अभिलिखित और फाइल की जाएगी ।

3. (3) यदि नामनिर्देशन करते समय नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति के ही पक्ष में किया जाएगा यदि कोई नामनिर्देशन ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है जो नियोजित व्यक्ति के कुटुम्ब का व्यक्ति नहीं है तो वह शून्य होगा ।

(4) यदि नामनिर्देशन करते समय नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है किन्तु यदि बाद में नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब बन जाता है तो ऐसा नामनिर्देशन तुरन्त शून्य हुआ समझा जाएगा और नियोजित व्यक्ति, कुटुम्ब बनने से तीन दिन के भीतर, उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में नियोजक को प्ररूप में ख में दो प्रतियों में एक नया नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात् उप नियम (2) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो नामनिर्देशन उपनियम (1) के अधीन किया गया हो ।

(5) यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु नियोजित व्यक्ति के पूर्व हो जाती है तो नामनिर्देशिती का हित नियोजित व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जाएगा और नियोजित व्यक्ति, नामनिर्देशिती की मृत्यु के दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर, इसमें आगे उपबंधित रीति में, नया नामनिर्देशन करेगा

(6) नामनिर्देशन में उपांतरण की सूचना जिसके अंतर्गत ऐसे मामले भी है जिनमें नाम निर्देशिती की मृत्यु नियोजित व्यक्ति से पहले हो जाती है, नियोजक को प्ररूप ग में दो प्रतियों में उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में दी जाएगी और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो नामनिर्देशन उपनियम (1) के अधीन किया गया हो ।

(7) नियोजित व्यक्ति किसी अप्राप्तवय व्यक्ति को नाम-निर्देशित नहीं करेगा ।

(8) नामनिर्देशन, नए नामनिर्देशन या नामनिर्देशन में उपांतरण की सूचना पर नियोजित व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा और यदि वह साक्षर नही है तो वह उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाएगा । ऐसे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दो साक्षियों की उपस्थित में लगाया जाएगा जो, यथा स्थिति, नामनिर्देशन, नए नामनिर्देशन या नामनिर्देशन पत्र में उपांतरण की सूचना में इस भाव की एक घोषणा पर भी हस्ताक्षर करेंगे ।

(9) नामनिर्देशन, नए नामनिर्देशन या नामनिर्देशन मे उपांतरण की सूचना उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वे नियोजक को प्राप्त होते हैं ।

3ख. नामनिर्देशन-रजिस्टर (1) नियोजक नामनिर्देशन रजिस्टर में, यथास्थिति, नामनिर्देशन पत्र, नए नामनिर्देशन पत्र और नामनिर्देशन पत्रों में उपांतरण की सूचनाएं अभिलिखित करेगा । इस रजिस्टर को नियोजक प्ररूप घ में कालानुक्रम में रखेगा ।

(2) नियोजक नामनिर्देशन रजिस्टर अद्यतन रूप में रखेगा और स्थायी रूप से उसे कार्यस्थल पर रखेगा या यदि वह ऐसे रजिस्टर को कार्यस्थल पर रखने में कोई असुविधा महसूस करता है तो वह ऐसा रजिस्टर ऐसे किसी उपयुक्त स्थान पर रखेगा जिसे प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) इस निमित अनुमोदित करे ।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) में, प्रत्येक रजिस्टर शब्दों के पूर्व नामनिर्देशन रजिस्टर से भिन्न शब्द जोड़ दिए जाएंगे ।

5. विद्यमान नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

9क. विहित प्राधिकारी—मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ऐसा विहित प्राधिकारी होगा जिसके पास, अधिनियम की धारा 25 क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निक्षिप्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकमें निक्षिप्त की जाएंगी और वह इस प्रकार निक्षिप्त की रकमों को नियम 18 ख में विहित रीति में बरतेगा ।

6. नियम 18 के उपनियम (2) में, खण्ड (i) और (ii) का लोप किया जाएगा और खण्ड (iii) तथा (iv) को खण्ड (i) और (ii) के रूप में पुनः संस्थापित किया जाएगा ।

7. नियम 18 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

18क असंवितरित मजदूरी की रकमों का निक्षेप—

(1) यदि किसी वायु परिवहन सेवा में नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप मे देय सभी रकमें इस कारण असंवितरित रह जाती है कि या तो नियोजित व्यक्ति ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया है या ऐसी रकमें देय हो जाने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् तक नियोजित व्यक्ति के नामनिर्देशिती को किसी कारण-वश संदत्त नही की जा सकी हैं तो नियोजक ऐसी सभी रकमें, उक्त एक वर्ष की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् से पन्द्रह दिन के अवसान से पूर्व नियोजक मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पास निक्षिप्त कर देगा ।

(2) नियोजक उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकमें मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के पक्ष में भारत मे किसी अनुसूचित अंक से प्राप्त क्रासड मांग देय ड्राफट द्वारा निक्षिप्त करेगा और ऐसा मांगदेय ड्राफट नियोजक मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को, प्ररूप ङ मे सुसंगत ब्यारों के साथ, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और उसके साथ ही उसकी एक प्रति संबंधित प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भी भेजेगा ।

18-ख रकमों को बरतने की रीति :

(1) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नियम 18 क के अधीन निक्षिप्त रकमों का उपयोग ऐसे उपायो के संबंध में उपगत व्ययों को पूरा करने के लिए करेगा जो उसकी राय में वायु परिवहन सेवा में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और विशिष्टतः उनका उपयोग वायु परिवहन सेवा में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए निम्नलिखित कार्यों पर करेगा, अर्थात् :—

(i) शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार;

(ii) आमोद-प्रमोद से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार

(iii) परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की व्यवस्था और सुधार

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अशक्तता और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन की व्यवस्था और सुधार

(iv) परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ।

(2) किसी वायु परिवहन सेवा के संबंध में नियोजक द्वारा या किसी वायु परिवहन सेवा में नियोजित व्यक्तियों के ऐसे व्यवसाय संघ द्वारा जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, उपनियम (1) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में उपगत व्यय की संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) स्वविवेकानुसार, पूर्णतः या भागतः कर सकता है परन्तु यह तब जब उसका यह समाधान हो जाए कि संबंधित व्यक्ति ने ऐसा व्यय उपनियम (1) मे विनिर्दिष्ट किसी सद्भाविक प्रयोजन के लिए ही वस्तुतः उपगत किया है ।

8. उक्त नियमों के प्ररूप 8 में,—

(क) मद 3 के खण्ड (क), (ख) और (ग) तथा मद 4 और 5 में प्रयुक्त "4,00" अंकों के स्थान पर "1,600" अंक रखे जाएँगे;

(ख) मद 7 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

8. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पास निक्षिप्त असंवितरित मजदूरी के मामलों की संख्या और रकम :
1,600 रु० प्रति मास से कम पाने वाले व्यक्ति

मामलों की संख्या	रकम
(क) वे मामले जिनमें नाम-निर्देशन न होने के कारण मजदूरियां असंवितरित रह गई हैं ।	
(ख) वे मामले जिनमें मजदूरियां, नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियों) को किसी कारण-वश संदत्त नहीं की जा सकी है ।	

9. उक्त नियमों के प्ररूप 11 में,—

(क) मद 1 में, 400 अंको के स्थान पर, 1600 अंक रखे जाएंगे;

(ख) मद 9 की उपमद (2) के खण्ड (क) मे, "प्रति रुपया नौ पैसे" शब्दो के स्थान पर उस मजदूरी अवधि के सबध मे जिसमे जुर्माना अधिरोपित किया गया है, उसे देय मजदूरी के 9 प्रतिशत शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) मद 12 मे, केन्द्रीय सरकार शब्दो के पश्चात् या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) शब्द और कोष्ठक जोड दिए जाऐंगे .

(घ) मद 12 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

12—क नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से ऐसी किसी निधि मे जो या तो नियोजक ने या व्यवसाय सघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय सघ ने, नियोजित व्यक्तियो या उनके कुटम्ब के सदस्यो या दोनो के कल्याण के लिए गठित की है और जिसे केन्द्रीय सरकार ने या इस निमित उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी ने अनुमोदित किया है, उसके अभिदान के सदाय के लिए कटौतियां, ऐसे अनुमोदन के बने रहने के दौरान की जा सकती है,

(ङ) मद 14 के पश्चात् निम्नलिखित मद अत स्थापित की जाएगी, अर्थात् .—

14—क नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से, व्यवसाय सघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा देय फीसों के सदाय के लिए, कटौतिया की जा सकती हैं;

(च) मद 15 मे, केन्द्रीय सरकार शब्दो के पश्चात् या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) शब्द और कोष्टक जोड़ दिए जाएगे,

(छ) मद 19 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और मदें अत स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

असवितरित मजदूरी का सदाय

19—क (1) यदि मजदूरी के रूप मे किसी नियोजित व्यक्ति को देय सभी रकमो का संदाय, ऐसे संदाय से पूर्व नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण या उसका पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण नही किया जा सकता है या नही किया जा सका है तो ऐसी रकम का सदाय उस व्यक्ति को कर दिया जाएगा जिसे ऐसे नियोजित व्यक्ति ने इस निमित नामनिर्देशित किया है।

(2) यदि मजदूरी इस कारण असवितरित रह जाती है कि नियोजित व्यक्ति ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया है या ऐसी रकमे नियोजित व्यक्ति के नाम निर्देशिती को, ऐसी रकमो के देय होने की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् तक, संदत्त नही की जा सकी है, तो नियोजक ऐसी असवितरित मजदूरी की सभी रकमे उक्त एक वर्ष की अवधि के अतिम दिन के पश्चात् से 15 दिन के अवसान से पूर्व नियोजक मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली के पास निक्षिप्त कर देगा ।

निक्षिप्त रकमो को बरतने की रीति

19—ख (1) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अपने पास निक्षिप्त असवितरित मजदूरी की रकमो का उपयोग ऐसे उपायो के सबध मे व्यय को पूरा करने के लिए करेगा जो वायु परिवहन सेवा के किसी स्थापनों मे नियोजित व्यक्तियो के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए किए जाते हैं और विशिष्टत उनका उपयोग वायु परिवहन सेवा के किसी स्थापनो मे नियोजित व्यक्तियो के फायदे के लिए किए गए उपायो के खर्च को, उदाहरणार्थ, नियोजित व्यक्तियो की शिक्षा आमोद-प्रमोद और परिवहन सुविधाओं, परिवार नियोजन और परिवार कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अशक्त तथा विकलांग व्यक्तियो के पुनर्वास की व्यवस्था और सुधार कार्य के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा ।

(2) कि वायु परिवहन सेवा या वायु परिवहन सेवा के सबध मे किसी स्थापन मे नियोजित व्यक्तियो के किसी ऐसे व्यवसाय सघ के सबध मे, जो व्यवसाय सघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किसी नियोजक द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की सबधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), स्वविवेकानसार पूर्णत या भागत कर सकता है ।

[संख्या एस-31012/8/82-डब्ल्यू०सी० (पी० डब्ल्यू०)]

प्ररूप क

[नियम 3-क का उपनियम (1) देखिए]

नामनिर्देशन

सेवा मे,

(यहां स्थापन का नाम और पूरे पते के साथ तथा नियोजक का नाम और पता दीजिए)

मैं ... . जिसकी विशिष्टियां नीचे विवरण
(पूरा नाम)

मे दी गई है, नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नामनिर्देशन, मजदूरी के रूप मे मुझे देय सभी रकमे उस दशा मे प्राप्त करने के लिए करता हूं जब ऐसी रकमे, उन के संदाय से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने के कारण या मेरा पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण ऐसी रकमे मुझे सदत नही की जा सकी है या सदत नही की जा सकती है ।

2 मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस व्यक्ति का मैंने नामनिर्देशन किया है वह मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) नियम, 1968 के नियम 2 मे खण्ड (झझ) के अर्थान्तर्गत मेरे कुटुम्ब का सदस्य हैं ।

3 मैं घोषणा करता हू कि उक्त नियमो के नियम 2 के खण्ड (झझ) के अर्थ मे मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है और यदि भविष्य मे मेरा कोई कुटुम्ब बन जाता है तो उक्त नामनिर्देशन शून्य हो जाएगा और उस दशा मे मैं प्ररूप ख मे एक नया नामनिर्देशन करूगा ।

4. (क) मेरे पिता/माता/माता-पिता मुझ पर आश्रित नही है ।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं है ।

नामनिर्देशिती

नामनिर्देशिती का नाम और पता	नियोजित व्यक्तियो के साथ नामनिर्देशिती की आयु नामनिर्देशिती की नातेदारी	
1	2	3
1.		
2.		
3.		

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है ।
5. उस विभाग (शाखा) अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है
6. धारित पद तथा निकट संख्यांक या क्रम संख्यांक, यदि कोई है।
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता :
9. स्थायी पता :

ग्राम ..... थाना .....
उप-खण्ड ..... जिला ..... राज्य .....

स्थान ..... नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर
तारीख ..... अंगूठे का निशान

साक्षियों द्वारा घोषणा

नामनिर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए अंगूठे का निशान लगाया गया ।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता :— साक्षियों के हस्ताक्षर

1. 1.
2. 2.

स्थान .....
तारीख .....

नियोजक का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामनिर्देशन की विशिष्टियों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें क्रम संख्यांक ..... पर प्ररूप ख में नामनिर्देशन रजिस्टर में अभिलिखित कर लिया गया है।

नियोजक (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान .....
तारीख ..... पदनाम

स्थापन का नाम और पता या उसकी रबड़ मुद्रा

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप क में फाइल किए गए नामनिर्देशन की द्वितीय प्रति जिसे नियोजक ने सम्यकतः प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की ।

स्थान ..... नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर
तारीख .....

टिप्पण—जो शब्द या पैरा लागू नहीं होते है उन्हें काट दीजिए ।

प्ररूप-ख

[नियम 3(क) का उपनियम (4) देखिए]

नया नामनिर्देशन

सेवा में

(यहां स्थापन के नाम और पूरे पते सहित नियोजक का नाम और पता दीजिए)

मैं ..... का जिसकी विशिष्टियां नीचे विवरण
(पूरा नाम)
में दी गई हैं, यह कथन करता हूं कि मजदूरी संदाय (वायु परिवहन सेवा) नियम, 1968 के नियम 2 के खण्ड (अक्ष) के अर्थ में नीचे उपदर्शित रीति में ..... तारीख से मेरा कुटुम्ब बन गया है । अतः मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नया नामनिर्देशन, मजदूरी के रूप में मुझे देय सभी रकमें उस दशा में प्राप्त करने के लिए करता हूं जब ऐसी रकमें, उनके रकमों के संदाय से ठीक पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने के कारण या मेरा पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण मुझे संदत्त न की जा सकी है या संदत्त नहीं की जा सकती है ।

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस व्यक्ति का मैंने नामनिर्देशन किया है वह उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (अक्ष) के अर्थ में मेरे कुटुम्ब का सदस्य है ।

3. (क) मेरे माता/पिता-माता मुझ पर आश्रित नहीं हैं।
(ख) मेरे पति के पिता माता/माता-पिता मेरे पति आश्रित नहीं है ।

नाम-निर्देशिती

नामनिर्देशिती का नाम और पता	नियोजित व्यक्तियों के साथ नामनिर्देशिती की नातेदारी	नामनिर्देशिती की आयु
1	2	3

कुटुम्ब बन जाने की रीति

(यहां इस बाबत ब्यौरे दीजिए कि कुटुम्ब किस प्रकार बना है अर्थात्, विवाह द्वारा या माता-पिता के आश्रित हो जाने के कारण या दत्तक ग्रहण जैसी किसी अन्य प्रक्रिया के कारण)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम :
2. लिंग :
3. धर्म :
4. क्या अविवाहित (विवाहित) विधवा/विधुर है :
5. उस विभाग (शाखा) अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है:
6. धारित पद तथा टिकट संख्यांक या क्रम संख्यांक, यदि कोई है:
7. नियुक्ति की तारीख:
8. वर्तमान पता:
9. स्थायी पता:

ग्राम ——— थाना ——— उपखण्ड———
डाकखाना ——— जिला ——— राज्य ———

स्थान ——— नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
तारीख ———

साक्षियों द्वारा घोषणा

नए नामनिर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए। अंगूठे का निशान लगाया गया।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता : साक्षियों के हस्ताक्षर

1. 1.

2. 2.

स्थान———

तारीख———

नियोजक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामनिर्देश की विशिष्टियों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें क्रम संख्यांक —- पर, प्ररूप ष में नामनिर्देशन रजिस्टर में, अभिलिखित कर लिया गया है।

नियोजक प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम

स्थापन का नाम और पता या
उसकी रबड़ मुद्रा

स्थान ———

तारीख ———

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप ख में फाइल किए गए नामनिर्देशन की द्वितीय प्रति, जिसे नियोजक ने सम्यकतः प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की।

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान ———

तारीख ———

टिप्पण – जो शब्द या पैरा लागू नहीं होते हैं, उन्हें काट दीजिए।

प्ररूप ग

[नियम 3 क का उपनियम (6) देखिए]

नामनिर्देशन का उपान्तरण

सेवा में

(यहां स्थापन के नाम और पूरे पते सहित नियोजक का नाम और पता लिखिए)

मैं ·········· जिसकी विशिष्टियां नीचे दी

(पूरा नाम)

गई है, सूचना देता हूं कि मैंने जो नामनिर्देशन तारीख ·········· को फाइल किया है और जिसे आपके निर्देश संख्या ······ पर तारीख ·········· को अभिलेख में प्रविष्ट किया गया है, उसमें निम्नलिखित रूप में उपान्तरित किए जाएंगे :

(यहां आशयित उपान्तरणों के ब्यौरे दीजिए)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम :
2. लिंग :
3. धर्म :
4. क्या अविवाहित (विवाहित/विधवा) विधुर है :
5. उस विभाग (शाखा) अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है :
6. धारित पद का टिकट संख्यांक या क्रम संख्यांक, यदि कोई है।
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता :
9. स्थायी पता :

ग्राम ·········· थाना ·········· उपखण्ड ··········

डाकखाना ·········· जिला ·········· राज्य ··········

स्थान ·········· नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

तारीख ··········

साक्षियों द्वारा घोषणा

उपान्तरित नामनिर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए अंगूठे का निशान लगाया गया।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता : साक्षियों के हस्ताक्षर :

1. 1.

2. 2.

स्थान ··········

तारीख ··········

नियोजक का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उपान्तरण अभिलिखित कर लिए गए हैं और उन्हें प्ररूप ष में नामनिर्देशन रजिस्टर में क्रम संख्यांक ···· पर अभिलिखित और प्रविष्ट कर लिया गया है।

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर
पदनाम

स्थापन का नाम और पता या
उसकी रबड़ मुद्रा

स्थान ··········

तारीख ··········

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप ग में फाइल किए गए नामनिर्देशन की द्वितीय प्रति, जिसे नियोजक ने सम्यकतः प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की।

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान ··········

तारीख ··········

टिप्पण—जो शब्द या पैरा लागू नहीं होते हैं उन्हें काट दीजिए।

प्ररूप घ

[नियम 3 ख का उपनियम (1) देखिए]

नामनिर्देशन रजिस्टर

स्थापना का नाम और पता..... नियोजक का नाम और पता.....

भाग-I

क्रम सं०	नियोजित व्यक्ति का नाम और पूरा पता	नियोजन की प्रकृति	प्ररूप क में प्रारम्भ में नाम-निर्देशित किए गए नाम-निर्देशिती का नाम और पूरा पता तथा तारीख	प्ररूप ख में नाम-निर्देशित किए गए पश्चातवर्ती नाम निर्देशिती का नाम और पूरा पता तथा तारीख	प्ररूप ग में किए गए नाम-निर्देशन के उपान्तरण की सूचनाओं में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के, यदि कोई हैं, ब्यौरे और तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

भाग-II

इसमें प्ररूप क में किए गए प्रत्येक नामनिर्देशन, प्ररूप ख में किए गए प्रत्येक नए नामनिर्देशन तथा प्ररूप ग में नामनिर्देशन में किए गए उपान्तरण की सूचना की एक-एक प्रति भाग I में उपदर्शित क्रम के अनुसार होगी ।

प्ररूप क

[नियम 18क का उपनियम (2) देखिए]

प्रेषक : रजिस्ट्रीकृत

(यहां नियोजक का नाम और पूरा पता दीजिए)

सेवा में

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

विषय—अप्रदत्त मजदूरी की रकम का निक्षेप

महोदय,

मजदूरी संदाय (आयु परिवहन सेवा) नियम, 1968 के नियम 18क के उपनियम (2) के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन तथा अपेक्षित रूप में.....में आपके पक्ष
(बैंक का नाम और पता लिखिए)

में अभिप्राप्त.....रु० का क्रास मांगपत्र
(अंकों में) (शब्दों में)

ड्राफ्ट संख्या.....तारीख.....
(सं० का उल्लेख कीजिए)

.....संलग्न करता हूं । (तारीख का उल्लेख कीजिए)

ऊपर उल्लिखित रकम के रकमें है जो.....
(स्थापन का नाम और पता लिखिए)
में नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी के रूप में देय है तथा जो नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नामनिर्देशन न किए जाने के कारण या किसी अन्य कारणवश, नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) के अपने-अपने नाम-निर्देशिती (नाम निर्देशितियों) को ऐसी रकम संदत्त न की जा सकने के कारण, असंवितरित रह गई है। सुसंगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1. सुसंगत मजदूरी अवधि की विशिष्टियां.....
(मजदूरी अवधि के ब्यौरे दीजिए)

2. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नामनिर्देशन न होने के कारण नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप में देय सभी रकमें असंवितरित रह गई है .....
(ऐसे मामले की संख्या लिखिए)

3 मद 2 में निर्दिष्ट मामलों में असंवितरित मजदूरियों की कुल रकम रु० (अंकों में) रु० (शब्दों में)

4. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मजदूरी के रूप में किसी नियोजित व्यक्ति को देय सभी समस्त रकमें, नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियों) को संदत्त नहीं की जा सकी है :

5 मद 4 में निर्दिष्ट मामलों में ही असंवितरित मजदूरी की कुल रकम रु० (अंकों में) रु० (शब्दों में)

6. मद 3 और 5 में निर्दिष्ट असंवितरित मजदूरी की कुल रकम (अंकों में) (शब्दों में)

भवदीय,

स्थान.....
तारीख.....
(नियोजक)
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम, स्थापन का नाम और पता
या उसकी रबड़ मुद्रा

एक प्रति जिसके साथ संलग्नक नहीं है, जानकारी के लिए प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय).....को अग्रेषित की गई ।

(पता)
नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
स्थापन का नाम और पता या उसकी रबड़ मुद्रा

स्थान.....
तारीख.....

NOTIFICATION

G.S.R. 287(E).—The following draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules 1968 hereinafter referred to as the said rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 26 read with section 24 of the Payment of Wages Act 1936 (4 of 1936) is hereby published as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of three months from the date of the publication of this notification in the official gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person on the receipt of the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

Payment of Wages (Air Transport Services) Amendment Rules 1983.

(1) These rules may be called the Payment of Wages (Air Transport Services) Amendment Rules 1983.

(2) In rule 2 of the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules 1968, "(a) after clause (c), the following shall be inserted, namely: "(cc) 'Chief Labour Commissioner (Central)' means an officer appointed as such by the Central Government;"

(b) after the clause (l), the following clause shall be inserted, namely: "(li) "family" means—

(i) in case of a male employed person, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and deceased sons' widows' and children;

(ii) in case of a female employed person, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and her deceased sons' widows' and children".

3. After rule 3, the following rules shall be inserted, namely :—

"3A. Nominations. (1) in case an employed person is already in employment on the date of commencement of the Payment of Wages (Air Transport Services) Amendment Rules 1983 ordinarily within 60 days from such date, and in case an employed person has been employed after the date of the commencement of the said rules, ordinarily within 30 days from the day he is employed shall nominate a person conferring on him the right to receive all amounts payable to him as wages, if such amounts could not or can not be paid on account of his death before the payment or on account of his whereabouts not being known. The nomination shall be in Form A and submitted in duplicate by the employed person by personal service, after taking proper receipt thereof or by sending through registered post with acknowledgement due to the employer.

Provided that nomination in Form A shall be accepted by the employer even after the expiry of the specified period if filed with reasonable grounds for delay and no nomination so accepted shall be invalid mainly because it was filed after the expiry of the specified period,

(2) Within 30 days from the receipt of the nomination in Form A under sub-rule (1), the employer shall get the service particulars of the employed person as mentioned in the form of nomination, verified with reference to records of the Air Transport Services and returned to the employed person after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in Form A duly attested either by the employer or an officer authorised in this behalf by him as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded and filed in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 3B.

(3) If an employed person has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be in favour of a person belonging to his family. Any nomination made by such employed person in favour of a person not belonging to his family shall be void.

(4) If at the time of making a nomination, the employed person has no family, the nomination may be made in favour of any person but as soon as the employed person subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be void and the employed person shall, within 30 days of acquiring a family, submit in the manner as specified in sub-rule (1) a fresh nomination in duplicate in Form B to the employer and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis, as if it was made under sub-rule (1).

(5) If the nominee predeceses an employed person, the interest of the nominee shall revert to the employed person who shall within a period of 30 days from the death of the nominee make a fresh nomination in the manner hereinafter provided for.

(6) A notice of modification of a nomination including cases where a nominee pre-deceases an employed person shall be submitted in duplicate in Form C to the employer in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).

(7) The employed person shall not nominate a person who is a minor.

(8) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be signed by the employed person or if illiterate, bear his thumb impression in the presence of two witnesses who shall also sign a declaration to that effect in the nomination fresh nomination or a notice of modification of nomination as the case may be.

(9) A nomination, a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

3B. Register of nominations.—(1) The employer shall record and file all nominations, fresh nominations and notices of modification of nominations as the case may be in the register of nominations which shall be maintained chronologically by the employer in Form D.

(2) The register of nominations shall be maintained by the employer up-to-date and kept permanently at the workspot or where the employer experiences difficulty in keeping them at the workspot, at any other suitable place as may be approved by the Regional Labour Commissioner (Central) in this behalf.

4. In sub-rule (1) of rule 8 of the said rules, after the words 'Every register', the words 'other than register of nominations' shall be added;

5. After rule 9, the following rule shall be inserted namely :—

"9A. Prescribed authority.—The Chief Labour Commissioner (Central) shall be the prescribed authority with whom amounts required to be deposited under clause (b) of sub section (1) of section 25A of the Act shall be deposited and who shall deal with the amounts so deposited in the manner prescribed in rule 18B".

6. In sub-rule (2) of rule 18, the clauses (i) and (ii) shall be deleted and the existing clauses (iii) and (iv) shall be re-numbered as clauses (i) and (ii) respectively.

7. After rule 18, the following rules shall be inserted, namely :—

"18A Deposit of amounts of undisbursed wages—(1) Where all amounts payable as wages to a person employed in an establishment in relation to air transport services remains undisbursed because either no nomination has been made by the employed person or for any reasons, such amounts could not be paid to the nominee of the employed person until the expiry of one year from the date the same

had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Chief Labour Commissioner (Central) before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of one year.

(2) The amounts referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer through crossed demand draft obtained from any Scheduled Bank in India drawn in favour of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi and such Demand Draft shall be submitted by the employer to the Chief Labour Commissioner (Central) together with relevant details in Form E by registered post simultaneously endorsing its copy of the Regional Labour Commissioner (Central) concerned.

18B. Manner of dealing with the amounts.—(1) The amounts deposited under rule 18A shall be applied by the Chief Labour Commissioner (Central) to meet the expenditure incurred in connection with the measures which in his opinion are necessary or expedient to promote the welfare of persons employed in an establishment in relation to air transport services and in particular to defray the cost of measures for the benefit of persons employed in establishments in relation to air transport services directed towards,

(i) the provision and improvement of educational facilities;

(ii) the provision and improvement of recreational facilities;

(iii) the provision and improvement of family welfare including family planning;

(iv) the provision and improvement of vocational training, rehabilitation of disabled and handicapped persons; and

(v) the provision and improvement of transport facilities.

(2) The expenditure incurred in connection with the measures referred to in sub-rule (1) either by an employer in relation to air transport services or a trade union registered under the Trade Unions Act 1926, of persons employed in air transport services may be reimbursed to the person concerned by the Chief Labour Commissioner (Central) either wholly or partly at his discretion provided he is satisfied that the expenditure has actually been incurred by that person for the bonafide purpose as specified in sub-rule (1)"

8. In Form VIII of the said rules,—(a) for the figures "400" appearing at items 3(a), (b) and (c) and items 4 and 5, the figures, "1,600" shall be substituted;

(b) after item 7, the following item shall be inserted namely :—

"8 No. of cases and amount of undisbursed wages deposited with the Chief Labour Commissioner (Central) :

Persons receiving less than Rs. 1,600 per month

No. of cases.	Amount
(a) Cases in which wages remained undisbursed for want of nomination.	
(b) Cases in which wages could not be paid to persons nominated by the employed person (—) for any reason	

9. In Form XI of the said rules,—In item 1, for the figures, "400" the figures, "1,600" shall be substituted;

(b) in clause (a) of sub-item (2) of item 9, for the words, "naye paise in the rupee", the words, 'per cent of the wages payable to him in respect of that wage period in which fine is imposed" shall be substituted;

(c) in item 12, after the words, "Central Government", the words and brackets, "or the Chief Labour Commissioner (Central)" shall be added;

(d) after item 12, the following item shall be inserted, namely :—

"12A. Deductions can be made with the written authorisation of the employed person for payment of his contribution to any fund constituted by the employer or a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 for the welfare of the employed persons or the members of their families or both and approved by the Central Government or any officer specified it in this behalf during the continuance of such approval;"

(e) After item 14, the following item shall be inserted, namely :—

"14A. Deductions can be made with the written authorisation of the employed person for payment of fees payable by him for the membership of any trade union registered under the Trade Unions Act, 1926;"

(f) in item 15, after the words, "approved by the Central Government", the words and the brackets, "or the Chief Labour Commissioner (Central) shall be added;

(g) after item 19, the following words and items shall be inserted, namely :—

"19A. Payment of undisbursed wages.—(1) If all amounts payable to an employed person as wages could not or cannot be paid on account of his death before payment or on account of his whereabouts not being known shall be paid to the person nominated by him in this behalf.

(2) Where wages remain undisbursed because either no nomination had been made by the employed person or for any reason, such amounts could not be paid to the nominee of the employed person until the expiry of one year from the date the same had become payable, all amounts of such undisbursed wages, shall be deposited by the employer with the Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi, before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of one year.

19B Manner of dealing with deposited amounts.—(1) The amounts of undisbursed wages deposited with the Chief Labour Commissioner (Central) shall be applied by him to meet the expenditure in connection with the measures to promote the welfare of persons employed in establishments in relation to air transport services particularly to defray the cost of measures for the benefit of persons employed in establishments in relation to air transport services such as the provision and improvement of educational, recreational and transport facilities, family welfare including family planning, vocational training and rehabilitation of disabled and handicapped persons.

(2) The expenditure so incurred either by an employer in relation to air transport services of a trade union of persons employed in an establishment in ratelion to air transport services, registered under the Trade Unions Act 1926 may be reimbursed to the person concerned by the Chief Labour Commissioner (Central) either wholly or partly at his discretion.

[F. No. S-31012/8/82-WC(PW)I

FORM A

[See sub-rule (1) of rule 3A]

NOMINATION

To

(Give here name and address of employer together with name and full address of the establishment).

I, ...
(name in full here)

whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person mentioned below to receive all amounts payable to me as wages, if such amounts could not or cannot be paid on account of my death before the payment or on account of my whereabouts not being known.

2. I hereby certify that the person nominated by me is a member of my family within the meaning of clause (ii) of rule 2 of the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968.

3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (ii) of rule 2 of the said rules and should I acquire a family hereafter, the above nomination shall be void and in that event I shall make a fresh nomination in Form B.

4. (a) My father/mother/parents is/are not dependent upon me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

Nominee

Name and address of the nominee	Nominee's relationship with the employed person	Age of nominee
1	2	3

Statement

1. Name of the employed person in full.
2. Sex
3. Religion
4. Whether unmarried/married/widow/widower
5. Department/Branch/Section where employed
6. Post held with ticket No. or serial No, if any
7. Date of appointment
8. Present address
9. Permanent address

Village .....Thanna.....Sub-division.....
Post office.....District..... State.....

Place..... Signature/thumb-impression of

Date..... the employed person.

Declaration by witnesses.

Nomination signed/thumb-impressioned before me.

Name in full and full address of	Signature of witnesses.
1.	1.
2.	2.

Place.....

Date.....

Certificate by the employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in the register of nominations in Form D at serial No. .....

Signature of the employer/officer authorised.

Place..... Designation.....

Date..... Name and address of the establishment or rubber Stamp

Acknowledgement of the employed person.

Received the duplicate copy of nomination in Form A field by me and duly certified by the employer.

Place.....

Date..... Signature of the employed persons

Note : Strike out the words and paragraphs not applicable.

FORM B

[See sub-rule (4) of rule 3A]

Fresh nomination

To

Give here name and address of employer together with name and full address of the establishment).

I, ...
(name in full here)

whose particulars are given in the statement below have acquired a family within the meaning of clause (ii) of rule 2 of the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules 1968 with effect from..... (date here) ..... (in the manner indicated below and therefore nominate a fresh the person mentioned below to receive all amounts payable to me as wages, if such amounts could not or cannot be paid on account of my death before the payment or on account of my whereabouts not being known.

2. I hereby certify that the person nominated by me is a member of my family within the meaning of clause (ii) of rule 2 of the said rules.

3. (a) My father/mother/parents is/are not dependent upon me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

Nominee

Name and address of the nominee.	Nominee's relationship with the employed person	Age of nominee
1		3

Manner of acquiring a "family"

(here give details as to how a family was acquired, i.e. whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption)

Statement

1. Name of the employed person in full
2. Sex
3. Religion
4. Whether married/unmarried/widow/widower

5. Department/Branch/Section where employed
6. Post held with ticket No. or, serial No., if any
7. Date of appointment
8. Present address
9. Permanent address

Village..... Thana..... Sub-division.....

Date..... District..... State.....

Place..... Signature/thumb-impression of

Date..... the employed person.

Declaration of witnesses

Fresh nominations signed/thumb-impressioned before me

Name in full and full address of	Signautre of witnesses
1.	1.
2.	2.

Place.....

Date.....

Certificate by the employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in register of nominations in Form D at serial No..... ... .

Signature of the employer/officer authorised.

Designation.

Place..... Name and address of the estab-

Date..... lishment or rubber stamp thereof

Acknowledgement of the employed person.

Received the duplicate copy of the nomination in Form B filed by me and duly certified by the employer.

Place..... Signature of the employed person

Date.....

Note : Strike out the words and paragraph not applicable.

FORM C

[See sub-rule (6) of rule 3A]

Modification of nomination

To

(Give here name and address of employer together with name and full address of the establishment).

I,.....

(name in full here)

Whose particulars are given below hereby give notice that the nomination filed by me on.....and recorded under your reference No..... ...(date)..... .shall stand modified in the following manner:—

(Here give details of the modifications intended)

Statement

1. Name of the employed perton in full
2. Sex
3. Religion
4. Whether married/unmarried/widow/widower
5. Department/Branch/Section where employed
6. Post held with ticket No.; or serial No. if any
7. Date of appointment
8. Present address
9. Permanent address

Village... .... Than..... Sub-division.....

Post office..... District..... State.....

Place..... Signature/thumb impression of

Date..... the employed person.

Declaration by witnesses

Modification of nomination signed/thumb-impressioned before me

Name in full and full address of	Signature of witnesses
1.	1.
2.	2.

Place.....

Date.....

Certificate by the employer.

Certified that the above modifications have been recorded and entered into in register of nominations in Form D at serial No.....

Signature of the employer/officer authorised.

Place..... Designation

Date..... Name and address of the Eastb-lishment or rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the employed person

Received the duplicate copy of the notice for modification in Form C filed by me on.. . .duly certified by the employer.

Signature of the employed person

Place.....

Date.....

Note : Strike out the word s not applicable

FORM D

[See sub-rule (1) of rule 3B]

Register of nominations

Name and Address of the establishment.....Name and address of the employers .. ..

PART-I

Sl. No.	Name and complete address of the employed person	Nature of employment	Name and complete address of the nominees initially nominated in Form A, with date.	Name and address of the nominee subsequently nominated in Form B with date	Details of modifications if any, specified in the notices of modification of the nomination given in Form C with date.	Remarks
1	2	3		5	6	7

PART-II

It shall contain one copy each of the nomination in Form-A and, as the case may be, the fresh nomination in Form-B and notice of modification of nomination in Form-C in serial order indicated in part-I.

FORM E

[See sub-rule (2) of rule 18A]

REGISTERED

From:

(Give here name and complete address of the employer.

To

The Chief Labour Commissioner (Central)
Shram Shakti Bhawan,
Rafi Marg,
New Delhi (pin : 110001)

Sub : Deposit of amounts of undisbursed wages.

Sir,

As required under sub-rule (1) read with sub-rule (2) of rule 18A of the Payment of Wages (Air Transport Services) Rules, 1968 I enclose the crossed Demand draft bearing No . . . . . dated..... (mention the number (mention the date) for Rs ....Rupees..... (Mention the amount in figures) (mention the amounts in words) drawn in your favour obtained from ... . (mention the name and address of the bank) The above mentioned amounts represent all amounts payable as wages to persons employed in . . . . . (mention the name and address of the establishment) which remained undisbursed because either no nomination had been made by the employed person(s) or for any reasons such amounts could not be paid to the respective nominee(s) of the person(s). The relevant details are furnished hereunder:

(1) Particulars of the relevant wage period

....
(mention the details of the wage period)

2. No. of cases in which all amounts payable to an employed person as wages, remained undisbursed for want of nomination.

....
(mention the number of such cases)

3. Total amounts of undisbursed wages in cases referred to in item 2 :

Rs. . . . . (mention the amounts in figures) (Rupees . . (mention the amounts in in words)

4. No. of cases in which all amounts payable to an employed person wages could not be paid to person(s) nominated by employed person(s)

. . . . . .
(mention the number of such cases)

5. Total amounts of undisbursed wages in cases referred to in item 4:

Rs. . . . . (mention the amounts in (figures) Rupees..... (mention the amounts in words)

6. Total amounts of undisbursed wages referred to in items 3 and 5

Rs. . . . . (mention the amounts in figures) (Rupees.. . . . (mention the amounts in words)

yours faithfully

Signature of the employer/officer authorised

Place:

Date

Name and address of the establishment or rubber stamp thereof.

Copy without enclosures forwarded for information to the Regional Labour Commissioner (Central)

(mention address)

Signature of the employer/ officer authorised

Place　　Designation

Dated　　Name and address of the establishment or rubber stamp thereof

अधिसूचना

सा. का. नि. 288(अ)—मजदूरी संदाय (रेल) नियम, 1938 का, जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है, और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के समाप्ति के पश्चात्, विचार किया जायगा।

2. ऐसे आक्षेपों या सुझावों पर जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से, प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

मजदूरी संदाय (रेल) संशोधन नियम, 1983

1. इन नियमों का नाम मजदूरी संदाय (रेल) संशोधन, नियम, 1983 है।

2. मजदूरी संदाय (रेल) संशोधन नियम, 1938 के नियम 2 में—

(क) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

(छ) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है,

(1) पुरुष नियोजित व्यक्ति के मामले में उसकी पत्नी उसकी संतानें, चाहे वे विवाहित हैं या अविवाहित, उसके आश्रित माता पिता या उसके मृतक पुत्रों की विधवाएं और संतानें,

(2) स्त्री नियोजित व्यक्ति के मामले में उसका पति, उसकी संतानें, चाहे वे विवाहित हैं या अविवाहित, उसके आश्रित माता पिता, उसके पति के आश्रित माता पिता और उसके मृतक पुत्रों की विधवाएं और संतानें।"

"2क नामनिर्देशन (1) वह नियोजित व्यक्ति, जो मजदूरी संदाय (रेल) संशोधन नियम, 1983 के प्रारम्भ की तारीख को नियोजित है, साधारणतया ऐसी तारीख से साठ दिन के भीतर और वह नियोजित व्यक्ति जो उक्त नियम के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् नियोजित किया जाता है, साधारणतया ऐसे नियोजन के दिन से तीस दिन के भीतर, किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन करके उसे वे सभी रकमें प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा जो ऐसे नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप में देय हैं किन्तु जो संदाय किए जाने के पूर्व, नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण या उसका पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण उसे नहीं दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकी है। नियोजित व्यक्ति प्ररूप क में नामनिर्देशन, करके उसकी दो प्रतियां वेतन दाता पर, या तो व्यक्तिगत रूप से तामील करके और उसकी प्राप्ति की उचित रसीद प्राप्त करके या उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज कर उसकी तामील वेतनदाता पर करेगा

परन्तु वेतनदाता, प्ररूप क में नामनिर्देशन, ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् भी, स्वीकार कर लेगा यदि उसके साथ विलम्ब के उचित आधार प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार स्वीकृत कोई भी नामनिर्देशन मात्र इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् फाइल किया गया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप क में नामनिर्देशन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर वेतनदाता, नियोजित व्यक्ति की, नामनिर्देशन प्ररूप में तथा उल्लिखित सेवा विशिष्टियां, रेल के अभिलेखों के प्रति निर्देश से सत्यापित कराएगा और प्ररूप क में नामनिर्देशन की दूसरी प्रति जिसे वेतनदाता ने या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी ने सम्यक्तः अनुप्रमाणित किया हो, नियोजित व्यक्ति को, उससे उसकी प्राप्ति की रसीद लेकर वापस कर देगा। यह वापसी इस बात की प्रतीक होगी कि वेतनदाता ने नामनिर्देशन अभिलिखित कर लिया है और नामनिर्देशन की अन्य प्रति नियम 2क के उपनियम (1) में विहित रीति से अभिलिखित और फाइल की जाएगी।

(3) यदि नामनिर्देशन करते समय नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब है तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्ब के किसी व्यक्ति के ही पक्ष में किया जाएगा। यदि कोई नामनिर्देशन ऐसे किसी व्यक्ति के ही पक्ष में किया जाता है जो नियोजित व्यक्ति के कुटुम्ब का व्यक्ति नहीं है तो वह शून्य होगा।

(4) यदि नामनिर्देशन करते समय नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब नहीं है तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है किन्तु यदि बाद में नियोजित व्यक्ति का कोई कुटुम्ब बन जाता है तो ऐसा नामनिर्देशन तुरन्त शून्य हुआ समझा जाएगा और नियोजित व्यक्ति, कुटुम्ब बनने से तीस दिन के भीतर, उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रीति से वेतनदाता को प्ररूप ख में दो प्रतियों में एक नया नामनिर्देशन प्रस्तुत करेगा और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो नामनिर्देशन उपनियम (1) के अधीन किया गया हो।

(5) यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु नियोजित व्यक्ति के पूर्व हो जाती है तो नामनिर्देशिती का हित नियोजित व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जाएगा और नियोजित व्यक्ति नामनिर्देशिती की मृत्यु के दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर इसमें आगे उपबंधित रीति, से नया नामनिर्देशन करेगा।

(6) नामनिर्देशन में उपांतरण की सूचना जिसके अन्तर्गत ऐसे मामले भी हैं जिनमें नामनिर्देशिती की मृत्यु नियोजित व्यक्ति से पहले हो जाती है, सूचना वेतनदाता को प्ररूप ग में दो प्रतियों में, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति, से दी जाएगी और तत्पश्चात् उपनियम (2) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे मानो नामनिर्देशन उपनियम (1) के अधीन किया गया हो।

(7) नियोजित व्यक्ति किसी अप्राप्तवय व्यक्ति को नामनिर्देशित नहीं करेगा।

(8) नामनिर्देशन, नए नामनिर्देशन या नामनिर्देशन में उपांतरण की सूचना पर नियोजित व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा यदि वह साक्षर नहीं है तो वह उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाएगा। ऐसे हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान दो साक्षियों की उपस्थिति में लगाया जाएगा जो, यथास्थिति, नामनिर्देशन, नए नामनिर्देशन या नाम निर्देशन में उपांतरण की सूचना में इस भाव की एक घोषणा पर भी हस्ताक्षर करेंगे।

(9) नामनिर्देशन, नए नामनिर्देशन या नामनिर्देशन में उपांतरण की सूचना उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वे वेतनदाता

2ख.—नामनिर्देशन रजिस्टर (1) वेतनदाता नामनिर्देशन रजिस्टर में यथास्थिति, नामनिर्देशन पत्र, नए नामनिर्देशन पत्र और नामनिर्देशन उपांतरण की सूचनाएं अभिलिखित और फाइल करेगा। वेतनदाता इस रजिस्टर को प्रारूप 5 में कालानुक्रम में रखेगा।

(2) वेतनदाता नामनिर्देशन रजिस्टर अद्यतन रूप में रखेगा और स्थायी रूप से उसे कार्यस्थल पर रखेगा और यदि वह ऐसे रजिस्टर को कार्यस्थल पर रखने में कोई असुविधा महसूस करता है तो वह ऐसा रजिस्टर ऐसे किसी उपयुक्त स्थान पर रखेगा जिसे प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) इस निमित्त अनुमोदित करे।

(3) नाम निर्देशन रजिस्टर प्रमान्यतया अंग्रेजी में रखा जाएगा, किन्तु यदि वह अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में रखा जाता है तो अंग्रेजी में उसका सही अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाएगा।"

4. विद्यमान नियम 9 के उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और निम्नलिखित उप नियम 9 के उप नियम (2) के रूप में अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्—

"2(क) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय ऐसा विहित अधिकारी होगा जिसके पास अधिनियम की धारा 25 क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निक्षिप्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकमें निक्षिप्त की जाएंगी और वह इस प्रकार निक्षिप्त रकमों को नियम 18 ख में विहित रीति में बरतेगा।"

5. नियम 18 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :—

"18क असंवितरित मजदूरी की रकम का निक्षेपः—

(1) यदि किसी रेल वेतनदाता नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप में देय सभी रकमें इस कारण असंवितरित रह जाती है कि या तो नियोजित व्यक्ति ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया है यह ऐसी रकमें देय हो जाने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात तक नियोजित व्यक्ति के नाम निर्देशिती को किसी कारणवश संदत्त नहीं की जा सकी है तो ऐसी सभी रकमें उक्त एक वर्ष की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात से पन्द्रह दिन के अवसान से पूर्व नियोजक मुख्य आयुक्त (केंद्रीय) के पास निक्षिप्त कर देगा।

(2) वेतनदाता उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकमें मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली के पक्ष में भारत में किसी अनुसूचित बैंक से प्राप्त क्रास्ट मांग देय ड्राफ्ट द्वारा निक्षिप्त करेगा और ऐसा मांगदेय ड्राफ्ट मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को प्रारूप 6 में सुसंगत ब्यौरों के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा और उसके साथ ही उसकी एक प्रति संबंधित प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भी भेजेगा।

18ख. रकमों को बरतने की रीति :

(1) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नियम 18 क के अधीन निक्षिप्त रकमों का उपयोग ऐसे उपायों के संबंध में उपगत व्ययों को पूरा करने लिए करेगा जो उसकी राय में रेल में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और विशिष्टतः उनका उपयोग रेल में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए निम्नलिखित कार्यों पर करेगा अर्थात :—

(i) शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

(ii) आमोद-प्रमोद से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार ;

(iii) परिवार नियोजन और परिवार कल्याण की व्यवस्था और सुधार ;

(iv) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा अक्षमत और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वासन की व्यवस्था और सुधार ;

(v) परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था और सुधार।

(2) किसी रेल के संबंध में नियोजक द्वारा या किसी रेल में नियोजित व्यक्तियों के ऐसे व्यवसाय संघ द्वारा जो व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है वेतनदाता उपनियम (1) में निर्दिष्ट उपायों के संबंध में उपगत व्यय की संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) स्वविवेकानुसार पूर्णतः भागत : कर सकता है परन्तु यह तब जब उसका समाधान हो जाए कि संबंधित व्यक्ति ने ऐसा व्यय उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी सदभाविक प्रयोजन के लिए ही वस्तुतः उपगत किया है।

8. उक्त नियमों के प्रारूप 3 में—

(क) मद 3(ग) और मद 5 में प्रस्तुत "1 000" अंकों के स्थान पर "1 600" अंक रखे जायेंगे ;

(ख) मद 7 के पश्चात निम्नलिखित मद अंत स्थापित की जाएगी अर्थात्—

8. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के पास निक्षिप्त असंवितरित मजदूरी के मामलों की संख्या और रकम :	1 600 रु० प्रति मास से कम पाने वाले व्यक्ति	
	मामलों की संख्या	रकम
(क) वे मामले जिनमें नाम—निर्देशन न होने के कारण मजदूरी असंवितरित रह गई है।		
(ख) वे मामले जिनमें मजदूरी नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियो) को किसी कारणवश संदत्त नहीं की जा सकी है।		

7. उक्त नियमो के प्रारूप 4 में—

(क) मद 1 में "400" अंको के स्थान पर "1600" अंक रखे जायेंगे।

(ख) मद 9 की उपमद (2) के खण्ड (क) में "प्रति रुपये आठ आने" शब्दों के स्थान पर "उस मजदूरी अवधि के संबंध में जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया है, उसे देय मजदूरियों के प्रतिशत" शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) मद 12 में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात "या मुख्य श्रम आयुक्त केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक जोड़ दिए जायेंगे;

(घ) मद 12 के पश्चात निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात :—

"12-क. नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से ऐसी किसी निधि में जो या तो वेतनदाता या व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ ने, नियोजित व्यक्तियों या उसके कुटुम्ब के सदस्यों या दोनो के कल्याण के लिए गठित की है और जिसे केन्द्रीय सरकार ने या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी ने अनुमोदित किया है, उसके अभिदान के संदाय के लिए कटौतियां ऐसे अनुमोदन के बने रहने के दौरान की जा सकती हैं

(ङ) मद 14 के पश्चात निम्नलिखित मद संख्या अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"14-क नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा देय फीसों के संदाय के लिए कटौतियां की जा सकती हैं ;"

(च) मद 15 में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" शब्द और कोष्ठक जोड़ दिए जाएंगे ;

(छ) मद 19 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द और मद अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"असवितरित मजदूरी का संदाय"

19-क (1) यदि मजदूरियों के रूप में किसी नियोजित व्यक्ति को देय रकमों का संदाय, ऐसे संदाय से पूर्व नियोजित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण या उसका पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण नहीं किया जा सकता है तो ऐसी रकमों का संदाय उस व्यक्ति को कर दिया जाएगा जिसे ऐसे नियोजित व्यक्ति ने इस निमित्त नामनिर्देशित किया है।

(2) यदि मजदूरी इस कारण असंवितरित रह जाती है कि नियोजित व्यक्ति ने कोई नामनिर्देशन नहीं किया है या ऐसी रकमें नियोजित व्यक्ति के नाम निर्देशिती को, ऐसी रकमों के देय होने की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् तक, संदत्त नहीं की जा सकी है तो वेतनदाता ऐसी असंवितरित मजदूरियों की सभी रकमें उक्त एक वर्ष की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् से 15 दिन के अवसान से पूर्व, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) नई दिल्ली के पास निक्षिप्त कर देगा ।

निक्षिप्त रकमों को बरतने की रीति

19ख (1) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अपने पास निक्षिप्त असंवितरित मजदूरियों की रकमों का उपयोग ऐसे उपायों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए करेगा जो रेल के किसी स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए किए जाते हैं और विशिष्टतः उनका उपयोग रेलों में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए किए गए उपायों, उदाहरणार्थ, नियोजित व्यक्तियों को शिक्षा, आमोद-प्रमोद और परिवहन सुविधाओं, परिवार नियोजन सहित परिवार कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण और अशक्त तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था और विकास कार्य के खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(2) किसी रेल या किसी रेल में नियोजित व्यक्तियों के किसी ऐसे व्यवसाय संघ के संबंध में, जो व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किसी वेतनदाता द्वारा इस प्रकार उपगत व्यय की संबंधित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), स्वविवेकानुसार पूर्णतः या भागतः कर सकता है।

[सं० एस० 31012/9/82डब्ल्यू०सी० (पी०डब्ल्यू०)]

विशम्भर नाथ, अवर सचिव

प्ररूप-क

[नियम 2 ख का उपनियम (1) देखिए]

नाम निर्देशन

सेवा में

(यहां वेतनदाता का नाम और पता दीजिए)

मैं ·········· जिसकी विशिष्टियां नीचे विवरण में दी गई हैं,
(पूरा नाम)
नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम निर्देशन, मजदूरी के रूप में मुझे देय सभी रकमें उस दशा में प्राप्त करने के लिए करता हूं जब ऐसी रकमें, उनके संदाय से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने के कारण या मेरा पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण मुझे संदत्त नहीं की जा सकती हैं या संदत्त नहीं की जा सकती है।

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस व्यक्ति का मैंने नाम निर्देशन किया है वह मजदूरी संदाय (रेल) नियम, 1938 के नियम 2 के खण्ड (छछ) के अर्थ में मेरे कुटुम्ब का सदस्य है।

3. मैं घोषणा करता हूं कि उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (छछ) के अर्थ में मेरा कोई कुटुम्ब नहीं है और यदि भविष्य में मेरा कोई कुटुम्ब बन जाता है तो उक्त नाम निर्देशन शून्य हो जाएगा और उस दशा में मैं प्ररूप ख में एक नया नाम निर्देशन करूंगा।

4. (क) मेरे पिता/माता/माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं हैं।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/पिता मेरे पति पर आश्रित नहीं हैं।

नाम-निर्देशिती

नाम निर्देशिती का नाम और पता	नियोजित व्यक्ति से साथ नाम निर्देशिती की नातेदारी	नाम निर्देशिती की आयु
1	2	3

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर है
5. उस विभाग (शाखा) अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है।
6. धारित पद तथा टिकट संख्यांक का क्रम सख्यांक, यदि कोई है।
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता :
9. स्थायी पता :

ग्राम ··········· थाना ·········· उपखण्ड ···

डाकखाना ·········· जिला ·········· राज्य ···

स्थान ·············

तारीख ·············

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का

साक्षियों द्वारा घोषणा

नाम निर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए/अंगूठे का निशान लगाया गया।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.

स्थान ·············

तारीख ····· ······

वेतनदाता का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उपान्तरण अभिलिखित कर लिए गए हैं और इन पर प्ररूप च में नाम निर्देशन के रजिस्टर में क्रम संख्यांक अभिलिखित कर लिया गया है।

वेतनदाता प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान ············

तारीख ·········· ··

पद नाम
वेतनदाता का नाम और पता या उसकी रबड़ मुद्रा

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप क में फाइल किए गए नामनिर्देशन की द्वितीय प्रति, जिसे वेतनदाता ने सम्यकतः प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की।

स्थान ············

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख ············

टिप्पण—जो शब्द या पैरा लागू नहीं होते हैं उन्हें काट दीजिए।

प्ररूप ख

[नियम 2 (क) का उपनियम (4) देखिए]

नया नामनिर्देशन

सेवा में

(यहां वेतनदाता का नाम और पता दीजिए)

मैं ———————————का, जिसकी विशिष्टियां नीचे विवरण
(पूरा नाम)
दी गई हैं, यह कथन करता हूं कि मजदूरी संदाय (रेल), नियम, 1938 नियम 2 के खण्ड (झ) के अर्थ में नीचे उपदर्शित रीति में ———————————————तारीख से मेरा कुटुम्ब बन गया है।

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नया नामनिर्देशन, मजदूरी के रूप मुझे देय सभी रकमें उस दशा में प्राप्त करने के लिए करता हूं जब रकमें, उनके रकमों के संदाय से पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने के कारण या मेरा पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण मुझे संदत्त न की जा सकी या संदत्त नहीं की जा सकती है।

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस व्यक्ति का मैंने नामनिर्देशन किया है वह उक्त नियमों के नियम 2 के खण्ड (छछ) के अर्थ में मेरे कुटुम्ब का सदस्य है।

(क) मेरे माता पिता / माता-पिता मुझ पर आश्रित नहीं है ;

) मेरे पति के पिता / माता / माता-पिता मेरे पति पर आश्रित

नामनिर्देशिती

नामनिर्देशिती का नाम और पता	नियोजित व्यक्तियों के साथ नामनिर्देशिती की नातेदारी	नामनिर्देशिती की आयु
1	2	3

कुटुम्ब बन जाने की रीति

(यहां इस बाबत ब्यौरे दीजिए कि कुटुम्ब किस प्रकार बना है अर्थात विवाह द्वारा या माता पिता के आश्रित हो जाने के कारण या दत्तक ग्रहण जैसी किसी अन्य प्रक्रिया के कारण)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित / विवाहित / विधवा/विधुर है
5. उस विभाग (शाखा) अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है
6. धारित पद तथा टिकट संख्यांक या क्रम संख्यांक यदि कोई है
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता
9. स्थायी पता

ग्राम ···· ············ थाना ····· ·········

उपखण्ड ··············· डाकखाना ·············

जिला ··············· राज्य ···············

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

स्थान ·········

तारीख ·········

साक्षियों द्वारा घोषणा

नए नामनिर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए / अंगूठे का निशान लगाया गया।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता	साक्षियों के हस्ताक्षर
1.	1
2.	2.

स्थान ···· ········

तारीख ·········

वेतनदाता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामनिर्देशन की विशिष्टियों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें क्रम संख्यांक पर, प्ररूप ख में नामनिर्देशन रजिस्टर मे, अभिलिखित कर लिया गया है।

वेतनदाता प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर पदनाम
स्थापन का नाम और पता या
उसकी रबड़ मुद्रा----------

स्थान ----------
तारीख----------

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप ग मे फाईल किए गए नामनिर्देशन की द्वितीय प्रति, जिसे वेतनदाता ने सम्यक्त प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की

स्थान·····

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख----------

टिप्पण· जो मद्द या पैरा लागू नहीं होते हैं, उन्हें काट दीजिए।

[प्ररूप ग]

[नियम 2 क का उपनियम (6) देखिए]

नामनिर्देशन का उपान्तरण

सेवा मे,

(यहां वेतनदाता का नाम और पता लिखिए)

मैं ----------जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, सूचना
(पूरा नाम)

देता हूं कि मैंने जो नामनिर्देशन तारीख ----------को फाईल किया है और जिसे आपने निर्देश सं० ----------पर तारीख·····
----------को अभिलिखित किया गया है, उसमें निम्नलिखित रूप में उपान्तरण किए जाएं :

(यहां आशयित उपान्तरणों के ब्यौरे दीजिए)

विवरण

1. नियोजित व्यक्ति का पूरा नाम
2. लिंग
3. धर्म
4. क्या अविवाहित / विवाहित/विधवा / विधुर है
5. उस विभाग (शाखा अनुभाग का नाम जिसमें नियोजित है
6. धारित पद का टिकट संख्यांक या क्रम संख्यांक, यदि कोई है
7. नियुक्ति की तारीख
8. वर्तमान पता
9. स्थायी पता

ग्राम---------- डाक ----------
उपखण्ड----------, डाकखाना----------
जिला ---------- राज्य----------
स्थान ----------

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर/
तारीख ------- अंगूठे का निशान

साक्षियों द्वारा घोषणा

उपान्तरित नाम निर्देशन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए अंगूठे का निशान लगाया गया।

निम्नलिखित का पूरा नाम और पता साक्षियों के हस्ताक्षर

1. 1
2 2

स्थान ----------
तारीख····· ·····

वेतनदाता का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त उपान्तरण अभिलिखित कर लिए गए है और उन्हें प्ररूप घ में नामनिर्देशन रजिस्टर में क्रम संख्यांक· ··· · पर अभिलिखित और प्रविष्ट कर लिया गया है।

वेतनदाता/ प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर
पदनाम
स्थापन का नाम और पता या
रबड़ मुद्रा

स्थान ----------
तारीख----------

नियोजित व्यक्ति की अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्ररूप ग में फाईल किए गए नामनिर्देशन की द्वितीय प्रति, जिसे वेतनदाता ने सम्यकत: प्रमाणित किया है, मैंने प्राप्त की।

नियोजित व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान----------
तारीख·····

टिप्पण— जो मद्द या पैरा लागू नहीं होते है उन्हे काट दीजिए।

प्ररूप घ

[नियम 3 ख का उपनियम (1) देखिए]

नाम निर्देशन रजिस्टर

स्थापन का नाम और पता · ····· वेतनदाता का नाम और पता····· ·····

भाग-1

क्रम सं०	नियोजित व्यक्ति का नाम और पूरा पता	नियोजन की प्रकृति	प्ररूप क में प्रारम्भ मे नामनिर्देशित किए गए नामनिर्देशिती का नाम और पूरा पता तथा तारीख	प्ररूप ख मे नामनिर्देशित किए गए पश्चात्वर्ती नामनिर्देशिती का नाम और पूरा पता तथा तारीख	प्ररूप ग मे किए गए नामनिर्देशन के उपान्तरण की सूचनाओ मे विनिर्दिष्ट उपान्तरणो के, यदि कोई है, ब्यौरे और तारीख	टिप्पणिया
1	2	3	4	5	6	7

भाग 2

यथास्थिति इसमे प्ररूप क में किए गए प्रत्येक नामनिर्देशन प्ररूप ख में किए गए प्रत्येक नए नाम निर्देशन तथा प्ररूप ग मे नामनिर्देशन मे किए गए अपान्तरण की सूचना की एक-एक प्रति, भाग 1 मे उपदर्शित क्रम के अनुसार होगी।

प्ररूप क

[नियम 18 क का उपनियम (2) देखिए]

प्रेषक : रजिस्ट्रीकृत :

(यहां वेतनदाता का नाम और पूरा पता दीजिए)

सेवा में

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली –110001

विषय:– असंवितरित मजदूरी की रकम का निक्षेप

महोदय,

मजदूरी संदाय (रेल) नियम, 1938 के नियम 18क के उपनियम (2) के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित रूप में मैं——————————से आपके पक्ष में अभिप्राप्त ———
(बैंक का नाम और पता लिखिए) (अंकों में)
——————————रुपये का क्रास मांगदेय ड्राफ्ट सं०——————
(शब्दों में) (सं० का उल्लेख कीजिए)

तारीख——————————संलग्न करता हूं

(तारीख का उल्लेख कीजिए)

ऊपर उल्लिखित रकमें वे रकमें हैं जो——————; ——————
(स्थापन का नाम और पता लिखिए)

में नियोजित व्यक्तियों को मजदूरी के रूप में देय है तथा जो नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नामनिर्देशन न किए जाने के कारण या किसी अन्य कारणवश नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) के अपने अपने नामनिर्देशिति (नामनिर्देशितियों) को ऐसी रकम संदत्त न की जा सकने के कारण असंवितरित रह गई है। सुसंगत ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

1. सुसंगत मजदूरी अवधि की विशिष्टियां ——————————
(मजदूरी अवधि के ब्यौरे दीजिए

2. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें नामनिर्देशन न होने के कारण नियोजित व्यक्ति को मजदूरी के रूप में देय सभी रकमें असंवितरित रह गई हैं ——————————
(ऐसे मामलों की संख्या लिखिए)

3. मद 2 में निर्दिष्ट मामलों में असंवितरित मजदूरी की कुल रकम——————————
रु० रु०
(अंकों में) (शब्दों में)

4. ऐसे मामलों की संख्या में जिनमें मजदूरी के रूप में किसी नियोजित व्यक्ति को देय सभी समस्त रकमें, नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति (व्यक्तियों) को संदत्त नहीं की जा सकी है ——————————
(ऐसे मामलों की संख्या लिखिए)

5. मद 4 में निर्दिष्ट मामलों में असंवितरित मजदूरी की कुल रकम ——————————
(अंकों में) (शब्दों में)

6. मद 3 और 5 में निर्दिष्ट असंवितरित मजदूरी की कुल रकम ——————————
(अंकों में) (शब्दों में)

भवदीय,

वेतनदाता/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
स्थापन का नाम और पता या उसकी रबड़ मुद्रा

स्थान——————
तारीख——————

एक प्रति जिसके साथ संलग्नक नहीं है, जानकारी के लिए प्रादेशिक आयुक्त (केन्द्रीय) ——————————को अग्रेषित की गई
पता

वेतनदाता/प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर
पदनाम
स्थापन का नाम और पता या उसकी रबड़ मुद्रा

स्थान:.........
तारीख..........

NOTIFICATION

G.S.R. 288 (E) The following draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Railways) Rules 1938 herein after referred to as the said rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 26 read with section 24 of the Payment of Wages Act 1936 (4 of 1936), is hereby published as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of three months from the adte of the publication of this notification in the official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person on the receipt of the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

Payment of Wages (Railways) Amendment Rules 1983

1. These rules may be called the Payment of Wages (Railways) Amendment Rules 1983.

2. In rule 2 of the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely :

"(gg) "family" means—

(i) In case of a male employed person, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents and his deceased sons' widows' and children.

(ii) In case of a female employed person, her husband, her children whether married or unmarried, her dependent parents, her husband's dependent parents and her deceased sons' widows' and children."

3. After rule 2, the following rules shall be inserted, namely :—

"2A nominations—(1) In case an employed persons is already in employment on the date of commencement of Payment of Wages (Railways) Amendment Rules 1983, ordinarily within 60 days from such date, and in case an employed person has been employed after the date of the commencement of the said rules, ordinarily within 30 days from the day he is employed shall nominate a person conferring on him the right to receive all amounts payable to him as wages, if such amounts could not or cannot be paid

on account of his death before the payment or on account of his whereabouts not being known. The nomination shall be in Form A and submitted in duplicate by the employed person by personal service after taking proper receipt thereof or by sending through registered post with acknowledgement due to the pay master :

Provided that nomination in Form A shall be accepted by the pay master even after the expiry of the specified period, if filed with reasonable grounds for delay, and no nomination so accepted shall be invalid mainly because it was filed after the expiry of the specified period.

(2) Within 30 days of the receipt of the nomination in Form A under sub-rule (1), the pay master shall get the service particulars of the employed person, as mentioned in form of nomination, verified with reference to the records of the railway or as the case may be, the contractor and returned to the employed person after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in Form A duly attested either by the pay master or an officer authorised in this behalf by him as a token of recording of nomination by the pay master and the other copy of the nomination shall be recorded and filed in the manner prescribed in sub-rule (1) of rule 2B.

(3) If an employed person has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of person belonging to his family. Any nomination made by such employed person in favour of a person not belonging to his family shall be void.

(4) If at the time of making a nomination, the employed person has no family, the nomination may be made in favour of any person but as soon as the employed person subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith be deemed to be void and the employed person shall, within 30 days of acquiring a family, submit in the manner as specified in sub-rule (1) a fresh nomination in duplicate in Form B to the pay master and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made under sub-rule (1).

(5) If the nominee pre-deceases the employed person, the interest of the nominee shall revert to the employed person who shall within a period of 30 days from the death of the nominee make a fresh nomination in the manner hereinafter provided for.

(6) A notice of modification of a nomination including cases where a nominee pre-deceases an employed person, shall submit in duplicate in Form C to the pay master in the manner specified in sub-rule (1) and thereafter the provisions of sub-rule (2) shall apply mutatis mutandis as if it was made in sub-rule (1).

(7) The employed person shall not nominate a person who is a minor.

(8) A nomination or a fresh nomination or notice of modification of nomination shall be signed by the employed person or, if illiterate bear his thumb impression in the presence of two witnesses, who shall also sign a declaration to that effect in the nomination, fresh nomination or a notice of modification of nomination, as the case may be.

(9) A nomination, fresh nomination or a notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the pay master.

2B. Register of nominations.—(1) The pay master shall record and file all nominations, fresh nominations and notices of modification of nominations as the case may be in the register of nominations which shall be maintained chronologically by the pay master in Form D.

(2) The register of nominations shall be maintained by the pay master uptodate and kept permanently at the work-spot or where the pay master experiences difficulty in keeping them at the work-spot, at any other suitable place, as may be approved by the Regional Labour Commissioner (Central) in this behalf.

(3) The register of nominations shall normally be maintained in English but where it is maintained in any other language than English, a true translation thereof in English shall be available."

4. The existing rule 9 shall be renumbered as sub-rule (1) and the following sub-rule shall be inserted as sub-rule (2) of rule 9 namely :

"(2) The Chief Labour Commissioner (Central) shall be the prescribed authority with whom amounts required to be deposited under clause (b) of sub-section (1) of section 25A of the Act shall be deposited and who shall deal with the amounts so deposited in the manner prescribed in rule 18B."

5. After rule 18, the following Rules shall be inserted, namely :

"18A. Deposit of amount of undisbursed wages.—(1) Where all amounts payable as wages to a person employed by the pay master remains undisbursed because either no nomination has been made by the employed person or for any reasons, such amounts could not be paid to the nominee of the employed person until the expiry of one year from the date the same had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Chief Labour Commissioner (Central) before the expiry of the 15th day after the last day of the said period of one year.

(2) The amounts referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the pay master through crossed demand draft obtained from any Scheduled Bank in India drawn in favour of the Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi, and such demand draft shall be submitted by the pay master to the Chief Labour Commissioner (Central) together with relevant details in Form VI by registered post simultaneously endorsing its copy to the Regional Labour Commissioner (Central) concerned.

18B Manner of dealing with amounts— (1) The amounts deposited under rule 18A shall be applied by the Chief Labour Commissioner (Central) to meet the expenditure incurred in connection with the measures which in his opinion are necessary or expedient to promote the welfare of persons employed upon railways, and in particular to defray the cost of measures for the benefit of persons employed upon railways directed towards—

(i) the provision and improvement of educational facilities;

(ii) the provision and improvement of recreational facilities;

(iii) the provision and improvement of family welfare, including family planning;

(iv) the provision and improvement of vocational training, rehabilitation of disabled and handicapped persons; and

(v) the provision and improvement of transport facilities.

2. The expenditure incurred in connection with the measures referred to in sub-rule (1) either by a pay master or a trade union registered under the Trade Union Act, 1926 of persons employed upon railways may be reimbursed to the persons concerned by the Chief Labour Commissioner (Central) either wholly or partly at his discretion, provided he is satisfied that the expenditure has been actually incurred by that person for the bona fide purpose specified in sub-rule (1)."

6. In form III of the said rules—

(a) for the figures "1000" appearing at items 3(c) and 5, the figures "1,600" shall be substituted;

(b) after item 7, the following items shall be inserted, namely—

"8. No. of cases and amount of undisbursed wages deposited with the Cheif Labour Commissioner (Central):

	Persons receiving less than Rs. 1000 per month	
	No. of cases	Amount
(a) Case in which wages remained undisbursed for want of nomination.		
(b) Cases in which wages could not be paid to person(s) nominated by employed person(s) for any reasons".		

7. In Form IV of th said rul s,—

7. In form IV of the said rules,—

(a) in item 1, for the figures "400" the figures, "1,600" shall be substituted;

(b) in clause (a) of sub-item (2) of item 9, for the words "half anna in the rupee", the words, "three per cent of the wages payable to him in respect of that wage period in which fine is imposed" shall be substituted;

(c) in item 12, after the words "Central Government", the words and the brackets, "or the Chief Labour Commissioner (Central)" shall be added;

(d) after item 12, the following item shall be inserted, namely—

"12-A Deductions can be made with the written authorisation of the employed person for payment of his contribution to any fund constituted by the pay master or a trade union registered under the Trade Unions Act, 1926 for the welfare of the employed persons or the member of their families or both and approved by the Central Government or any officer specified by it in this behalf during the continuance of such approval".

(e) after item 14, the following item shall be inserted, namely—

"14A Deductions can be made with the written authorisation of the employed person for payment of fees payable by him for the membership of any trade union registered under the Trade Unions Act, 1926."

(f) in item No. 15 after the words "approved by the Central Government", the words and brackets, "or the Cheif Commissioner (Central)", shall be added.

(g) after item 19, the following words and items shall be inserted, namely—

"Payment of undisbursed wages"

19A. (1) If all amounts payable to an employed person as wages could not or cannot be paid on account to his death before payment or on account of his whereabouts not known shall be paid to the person nominated by him in this behalf.

(2) Where wages remain undisbursed because no nomination had been made by the employed person or for any reason, such amounts could not be paid to the nominee of the employed person until the expiry of one year from the date the same had become payable, all amounts of such undisbursed wages shall be deposited by the pay master with the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of one year.

Manner of dealing with deposited amounts

19B. (1) The amounts of undisbursed wages deposited with the Cheif Labour Commissioner (Central) shall be applied by him to meet the expenditure in connection with the measures to promote the welfare of persons employed upon railways particularly to defray the cost of measures for the benefit of persons employed by the railways, such as the provision and improvement of educational, recreational and transport facilities, family welfare including family planning, vocational training and rehabilitation of disabled and handicapped persons.

(2) The expenditure so incurred either by a pay master or a trade union of persons employed upon railways, registered under the Trade Unions Act, 1926 may be reimbursed to the person concerned by the Cheif Labour Commissioner (Central) either wholly or partly at his discretion.

[F. No. S. 31012/8/82-WC(PW)]

BISHAMBHAR NATH, Under Secy.

FORM A

[See sub-rule (1) of rule 2B]

Nomination

To

(Give here name and address of the paymaster)

I.....

(name in full here)

whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person mentioned below to receive all amounts payable to me as wages if such amounts could not or cannot be paid on account of my death before the payment of on account of my whereabouts not being known.

2. I hereby certify that the person nominated by me is a member of my family within the meaning of clause (gg) of rule 2 of the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938.

3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (gg) of rule 2 of the said rules and should I acquire a family hereafter, the above nomination shall be void and in that event I shall make a fresh nomination in Form B.

4. (a) My father/mother/parents is/are not dependant upon me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependant on my husband.

Nominee

Name and address of the nominee	Nominee relationship with the employed person	Age of nominee
1	2	3
1		
2		
3		
4		
5		

Statement

1. Name of the employed person in full.
2. Sex
3. Religion
4. Whether married unamrried/widow/widower.
5. Department/Branch/Section where employed.
6. Post held with ticket No. or, serial No., if any.
7. Date of appointment.
8. Present address.
9. Permanent address :

Village..... Thana..... Sub-division.....

Post Office..... District..... State.....

Place.....

Date.... Signature/thumb impression of the employed person

Declaration by Witnesses

Nomination signed/thumb-impressioned before me.

Name in full and full address of	Signature of witness
1.	1.
2.	2.

Place.........

Place.........

Certificate by the Paymaster

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in the register of nominations in Form D at the Serial No...........

Signature of the Paymaster/Officer authorised

Place..........

Date.......... Designation

Name and address of the Paymaster or rubber stamp thereof.

Acknowledgement of the employed person

Received the duplicate copy of nomination in Form A filled by me and duly certified by the paymaster

Place..........

Date. .... Signature of the employed person

Note:—Strike out the words and paragraphs not applicable

FORM B

(See sub-rule (4) of rule 2A)

Fresh nomination

To

(Give here name and address of the paymaster)

I,..

(name in full here)

whose particulars are given in the statement below have acquired a family within the meaning of clasue (gg) of rule 2 of the Payment of Wages (Railways) Rules, 1938 with effect from . . (date here)...... ... ..(in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person mentioned below to receive all amounts payable to me as wages, if such amounts could not or cannot be paid on account of my death before the payment or on account of my whereabouts not being known.

2. I hereby certify that the person nominated by me is a member of my family within the meaning of clause (gg) of rule 2 of the said rules.

3. (a) My father/mother/parents is/are not dependent upon me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

Nominee

Name and address of the nominee	Nominee's relationship with the employed person	Age of nominee
1	2	3
1		
2		
3		

Manner of acquiring a "family"

(Here give details as to how a family was acquired, i.e. whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption).

Statement

1. Name of the employed person in full.
2. Sex .
3. Religion.
4. Whether unmarried/married/widow/widower
5. Department/Branch/Section/where employed.
6. Post held with ticket No. or serial No. if any.
7. Date of appointment.
8. Present address
9. Permanent Address

Village . . . Thana...... Sub-division.. . .

Post Office...... District ... . State......

Place...... ... Signature/thumb-impression of

Date.......... the employed person

Declaration of witnesses

Fresh nominations/signed/thumb-impressioned before me.

Name in full and full address of	Signature of witnesses
1.	1.
2.	2.

Place ....

Date.... .....

Certificate by the paymaster

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in register of nominations in form D at serial No. ....

Signature of the paymaster/officer authorised

Designation.

Place.... . . . Name and address of the establishment or rubber stamp thereof.

Acknowledgement of the employed person

Received the duplicate copy of nomination in Form B filled by me and duly certified by the paymaster.

Signature of the employed person

Place . ...

Date..........

Note : Strike out the words and paragraphs not applicable.

FORM C

[See sub-rule (6) of rule 2

Modification of nomination

Give here name and address of the paymaster).

I, ...

(name in full here)

whose particulars are given below, hereby give notice that the nomination filed by me on ... . and recorded under your reference no.. ....(date) .... No..... .... (dated) ....shall stand modified in the following manner -

(Here give details of the modifications intended

Statement

1. Name of the employed person in full.
2. Sex.
3. Religion.
4. Whether unmarried/married/widow/widower.
5. Department/Branch/Section where employed.
6. Post held with ticket No., or serial No., if any.
7. Date of appointment.
8. Present address.
9. Permanent address:

Village..... Thana..... Sub-division.....
Post Office ..... District..... State.....

Place..... Signature/thumb-impression of the
Date..... employed person

Declaration by witnesses

Modification of nomination signed/thumb-impression before me.

Name in full and full address of Signature of witnesses
1. 1.
2. 2.
Place.....
Date.....

Certificate by the paymaster

Certified that the above modifications have been recorded and entered into in the register of nominations in Form D at serial No.....

Signature of the paymaster/officer authorised.
Designation

Place ..... Name and address of the establishment or rubber stamp thereof
Date.....

Acknowledgement by the employed person

Received the duplicate copy of the notice for modification in Form C filed by me on. ..... duly certified by the paymaster.

Place..... Signature of the employed person
Date.....

Note :—Strike out the words not applicable.

FORM—D

[See sub-rule (1) of rule 2 B]

Register of nominations

Name and address of the establishment..... Name and address of the Paymaster.....

PART—I

Sl. No.	Name and complete address of the employed person	Nature of employment	Name and complete address of the nominee initially nominated in Form A with date	Name and address of the nominee subsequently nominated in Form B with date	Details of modifications, if any, specified in the notice of modification of the nomination given in Form C with date	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

PART-II

It shall contain one copy each of the nomination in Form A and, as the case may be, the fresh nomination in Form-B and notice of modification of nomination in Form-C in serial order indicated in part-I.

FORM VI-A

[See sub-rule (2) of rule 18A]

Form : REGISTERED

(Give here name and complete address of the Paymaster)

To,

The Chief Labour Commissioner (Central),
Shram Shakti Bhawan,
Rafi Marg,
New Delhi (Pin : 110 001)

Subject:—Deposit of amount of undisbursed wages.

Sir,

As required under sub-rule (1) read with sub-rule (2) of rule 18A of the Payment of Wages (Railways) Rules 1938, I enclose the crossed demand draft bearing No.....
(mention the number)
dated ..... for Rs. .....
(mention the date) (mention the amount in figures)
(rupees.....
(mention the amount in words)
drawn in your favour obtained from .....
(mention the name and address of the Bank)

The above mentioned amounts represent all amounts payable as Wages to person employed in.....
(Mention the name and address of the establishment)

Which remained undisbursed because either no nomination had been made by the employed person(s) or for any reasons such amounts could not be paid to the respective nominee(s)

of the employed person(s). The relevant details are furnished hereunder:—

1. Particulars of the relevant wage-period: .....
(Mention the details of the wage period)

2. No. of cases in which all amounts payable to an employed person as wages, remained undisbursed for want of nomination: .....
(mention the number of such case (s)

3. Total amount of undisbursed wages in cases referred to in Item 2 : Rs..... (Rupees.....
(mention the amounts in figures) (mention the amounts in words)

4. No. of cases in which all amounts payable to an employed person as wages could not be paid to person(s) nominated by employed person(s): .....
(mention the number of such case(s)

5. Total amounts of undisbursed wages in cases referred to in item 4: Rs..... (Rupees.....
(mention the amounts in figures) (mention the amounts in words)

6. Total amounts of undisbursed wages referred to in item 3 and 5 : Rs..... (Rupees.....
(mention the amount in figures) (mention the amounts in words)

Yours faithfully,

Signature of the Paymaster/officer authorised

Place..... Designation

Date..... Name and addressed of the establishment or rubber stamp thereof.

Copy without enclosure s forwarded for information to the Regional Labour Commissioner (Central) ..... (mention address).

Signature of the paymaster/officer authorised

Place.....
Dated..... Name and address of the establishment or rubber stamp thereo f.

74 GI/84—5

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984